



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 2017/आषाढ़ 10, 1939

No. 586]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 2017/ASADHA 10, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2017

सं. 15/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 819(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 44 में,--

(क) उपनियम (2) में "एकीकृत कर और केन्द्रीय कर" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ;

(ग) उपनियम (6) में, "आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी.", शब्दों स्थान पर "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 96 में,--

(क) उपनियम (1) के खंड (ख) और

(ख) उपनियम (3) में,

"प्ररूप जीएसटीआर 3", शब्दों और अंकों के स्थान पर "यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3 या प्ररूप जीएसटीआर-3ख;" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) नियम 96 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"96क. बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय—(1) एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के विकल्प का उपभोग करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, निर्यात से पहले, अधिकारिता आयुक्त को,--

(क) यदि माल का भारत के बाहर निर्यात नहीं किया जाता है तो निर्यात के लिए बीजक जारी करने की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ; या

(ख) यदि निर्यातकर्ता को यदि ऐसी सेवाओं का भुगतान संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है तो एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए,

धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज के साथ देय कर का संदाय करने के लिए स्वयं को बाध्यकर बनाने हेतु प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 में बंधपत्र या परिवचन पत्र देगा ।

(2) सामान्य पोर्टल पर दिए गए प्ररूप जीएसटीआर-1 में अंतर्विष्ट निर्यात बीजकों के ब्यौरे इलैक्ट्रोनिक रूप से सीमा शुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम को पारेषित किए जाएंगे और यह संपुष्टि कि उक्त बीजकों के अंतर्गत आने वाला माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है, इलैक्ट्रोनिक रूप से, उक्त सिस्टम से सामान्य पोर्टल को पारेषित की जाएगी ।

(3) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर माल का निर्यात नहीं किया जाता है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उप नियम में उल्लिखित रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को तुरंत वापस ले लिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, धारा 79 के उपबंध के अनुसार उक्त रकम की वसूली की जाएगी ।

(4) उप नियम (3) के निबंधनानुसार वापस लिए गए बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय रकम का संदाय करते ही तुरंत पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।

(5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन किसी बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र दिया जा सकेगा ।

(6) उपनियम (1) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित किसी विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना शून्य दर पर माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में लागू होंगे।"

(iv) नियम 117 में, उपनियम (1) में "पृथक् रूप से" शब्दों के पश्चात् "धारा 140 के स्पष्टीकरण 2 में यथा परिभाषित उपयुक्त शुल्क और करों के" शब्द और अंक अंतःस्थापित जाएंगे;

(v) नियम 119 की शीर्षक में "अभिकर्ता" शब्द के स्थान पर "छुट-पुट कार्य करने वाले कर्मकार" शब्द रखे जाएंगे।

(vi) नियम 138 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अध्याय 17

निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

139. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण -- (1) जहां किसी उचित अधिकारी, जो संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 67 के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण के प्रयोजनों के लिए कारबार के स्थान या किसी अन्य स्थान का दौरा किया जाना है, वहां वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण किए जाने योग्य माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने के लिए **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-01** प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा।

(2) जहां कोई माल या दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किए जाने योग्य हैं वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप **जीएसटी आईएनएस-02** में अभिग्रहण का आदेश करेगा।

(3) उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी माल के ऐसे स्वामी या अभिरक्षक को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसासे माल या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है, माल की सुरक्षित देखरेख करने के लिए ऐसे माल या वस्तुओं की अभिरक्षा सौंप सकेगा और उक्त व्यक्ति, ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय ऐसे माल या वस्तुओं या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई कार्रवाई करेगा।

(4) जहां ऐसे किसी माल को अभिगृहीत करना व्यवहार्य नहीं है वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, माल के स्वामी या अभिरक्षक पर **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03** में ऐसे प्रतिषेध आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई उस पर कोई कार्रवाई करेगा।

(5) माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, ऐसे माल या दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं का विवरण, परिमाण या इकाई, बनावट, चिन्ह या माडल, जहां कहीं लागू हो, के साथ-साथ उनकी एक सूची तैयार करेगा और उस पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा जिससे ऐसा माल या दस्तावेज या पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है।

140. अभिगृहीत माल के निर्मोचन के लिए बंधपत्र और प्रतिभूति -- (1) अभिगृहीत माल को, **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-04** में माल के मूल्य के लिए एक बंधपत्र का निष्पादन करके और संदेय लागू कर, ब्याज और शास्ति की रकम के बराबर की बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति देकर अनंतिम आधार पर निर्मोचित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए “लागू कर” के अंतर्गत, माल और सेवाएं (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के अधीन संदेय, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर तथा उपकर, यदि कोई हो, भी है।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसको अनंतिम रूप से माल का निर्मोचन किया गया था, उचित अधिकारी द्वारा यथा उपदर्शित नियत तारीख और स्थान पर माल प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे माल के संबंध में प्रतिभूति नकद में ली जाएगी और उसे संदेय कर, ब्याज और शास्ति तथा जुर्माने, यदि कोई हों, के प्रति समायोजित किया जाएगा।

141. अभिगृहीत माल के संबंध में प्रक्रिया -- (1) जहां अभिगृहीत माल या वस्तुएं विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की है और यदि कराधेय व्यक्ति, ऐसे माल या वस्तुओं की बाजार कीमत के बराबर रकम का या ऐसे कर, ब्याज और शास्ति की रकम का, जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय है या हो गई है, के बराबर, इनमें से जो भी निम्नतर हो, संदाय कर देता है वहां, यथास्थिति, ऐसे माल या वस्तुओं को, संदाय के सबूत के आधार पर **प्ररूप जीएसटी आई एनएस-05** में आदेश द्वारा तुरंत निर्मोचित कर दिया जाएगा।

(2) जहां कराधेय व्यक्ति उक्त माल या वस्तुओं के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां आयुक्त ऐसे माल या वस्तुओं का व्ययन कर सकेगा और उसके द्वारा वसूल की गई रकम को ऐसे माल या वस्तुओं के संबंध में संदेय कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य रकम के प्रति समायोजित कर सकेगा।

अध्याय 18

मांग और वसूली

142. अधिनियम के अधीन संदेय रकम की मांग के लिए सूचना और आदेश -- (1) उचित अधिकारी,--

(क) धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन सूचना, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01** में, या

(ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन कथन, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-02** में,

उसमें संदेय रकम के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा।

(2) जहां सूचना या कथन की तामील से पहले कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (5) के अनुसार कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है, वहां वह उचित अधिकारी को, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04** में उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय को स्वीकार करते हुए एक अभिस्वीकृति जारी करेगा।

(3) जहां, कर से प्रभार्य व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन सूचना की तामील होने के तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन कर, ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है वहां वह उचित अधिकारी को, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05** में आदेश जारी करेगा।

(4) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यवेदन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-06** में होगा।

(5) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा (76) की उपधारा (3) के अधीन जारी संक्षिप्त विवरण को इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में, उसमें कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए अपलोड किया जाएगा।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश को वसूली की सूचना के रूप में माना जाएगा।

(7) उचित अधिकारी द्वारा, धारा 161 के उपबंधों के अनुसार परिशुद्धि का आदेश प्ररूप जीएसटीडीआरसी-08 में दिया जाएगा।

143. किसी ऋणग्रस्त रकम से कटौती द्वारा वसूली -- जहां अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों के अधीन सरकार के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा (जिसे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों में "व्यतिक्रमी" कहा गया है) संदेय की रकम संदत्त नहीं की जाती है, वहां उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-09 में विनिर्दिष्ट अधिकारी से, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यतिक्रमी के प्रति किसी ऋणग्रस्त रकम से उक्त रकम की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के नियमों के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के पूर्ण या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कंपनी का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

144. उचित अधिकारी के नियंत्रणाधीन माल के विक्रय द्वारा वसूली -- (1) जहां किसी व्यतिक्रमी से शोध्य कोई रकम, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के माल के विक्रय द्वारा वसूल की जानी है वहां उचित अधिकारी, ऐसे माल की सूची तैयार करेगा और उसके बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा और केवल उतने माल के विक्रय के लिए कार्यवाही करेगा जितना वसूली प्रक्रिया पर उपगत प्रशासनिक व्यय के साथ संदेय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित हैं।

(2) उक्त माल का, नीलामी, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, की प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिसके लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10 में विक्रय किए जाने वाले माल को और नीलामी के प्रयोजन को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी।

(3) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन से पूर्व की नहीं होगी।

परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसकी कीमत से अधिक होने की संभवना है, वहां उचित अधिकारी उसका तुरंत विक्रय कर सकेगा।

(4) उचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो उसे समपहृत किया जा सकेगा।

(5) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11 में नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उससे संदाय करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा। बोली की पूरी रकम के संदाय पर उचित अधिकारी उक्त माल का कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा तथा प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12 में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(6) जहां व्यतिक्रमी उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, वसूली के अधीन रकम का, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी है संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया रद्द करेगा और माल निर्मोचित कर देगा ।

(7) जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों की कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया रद्द करेगा और पुनः- नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा ।

145. किसी तृतीय व्यक्ति से वसूली -- (1) उचित अधिकारी, धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति पर, (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् "तृतीय व्यक्ति" कहा गया है) प्ररूप **जीएसटी डीआरसी 13** में, उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने का निदेश देते हुए, सूचना की तामील कर सकेगा ।

(2) जहां तृतीय व्यक्ति, उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी तृतीय व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 14 में ऐसे उन्मोचित दायित्व के व्यौरे स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

146. किसी डिक्री, आदि, के निष्पादन के माध्यम से वसूली -- जहां किसी रकम का किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में व्यतिक्रमी को संदेय है या किसी बंधक या भार के प्रवर्तन में विक्रय के लिए है वहां उचित अधिकारी प्ररूप **जीएसटी डीआरसी 15** में उक्त न्यायालय को अनुरोध करेगा और न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अध्यक्षीन, संलग्न डिक्री का निष्पादन करेगा और वसूलीय रकम के परिनिर्धारण के लिए शुद्ध आगमों को जमा करेगा ।

147. जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय द्वारा वसूली -- (1) उचित अधिकारी, व्यतिक्रमी की जंगम और स्थावर सम्पत्ति की एक सूची तैयार करेगा, प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार उसकी कीमत का प्राक्कलन करेगा और कुर्की या करस्थम् का आदेश जारी करेगा तथा प्ररूप **जीएसटी डीआरसी 16** में, ऐसी स्थावर और जंगम संपत्ति जो देय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित है, के संबंध में किसी संव्यवहार को प्रतिषिद्ध करते हुए विक्रय के लिए सूचना जारी करेगा :

परन्तु कोई ऋण जो पराक्रम्य लिखत द्वारा, किसी निगम में कोई अंश या अन्य जंगम संपत्ति द्वारा प्रतिभूत नहीं है, में किसी संपत्ति की कुर्की जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, किसी न्यायालय में निक्षेपित या अभिरक्षा में संपत्ति से भिन्नि, नियम 151 में उपबंधित रीति से कुर्क की जाएगी ।

(2) उचित अधिकारी, कुर्की या करस्थम् आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को, स्थावर या जंगम संपत्ति पर विल्लंगम रखने को भेजेगा जो केवल उचित अधिकारी द्वारा उस प्रभाव के लिखित निदेशों पर हटाया जाएगा ।

(3) जहां उपनियम (1) के अधीन कुर्की या करस्थम् के अध्यक्षीन, कोई संपत्ति--

(क) स्थावर संपत्ति है, कुर्की या करस्थम् आदेश उक्त संपत्ति पर चिपकाया जाएगा और विक्रय की पुष्टि होने तक चिपका रहेगा ।

(ख) कोई जंगम संपत्ति है, वहां उचित अधिकारी उक्त संपत्ति को इस प्रकार अधिनियम के अध्याय 14 के उपबंधों के उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करेगा और उक्त संपत्ति की अभिरक्षा या तो उचित अधिकारी के द्वारा स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ली जाएगी।

(4) कुर्की या करस्थम् की गई संपत्ति नीलामी के माध्यम से विक्रय की जाएगी, जिसके अन्तर्गत ई-नीलामी भी है, जिसके लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी 17 में सूचना, विक्रय की जाने वाली संपत्ति को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए और विक्रय का प्रयोजन देते हुए, जारी किया जाएगा।

(5) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए, जहां विक्रय की जाने वाली संपत्ति, पराक्रम्य लिखत या किसी निगम में कोई अंश है, वहां उचित अधिकारी इसे लोक नीलामी से विक्रय करने के बजाय ऐसे लिखत या अंश को किसी दलाल के माध्यम से विक्रय कर सकेगा और उक्त दलाल वसूली के अधीन यथा अपेक्षित रकम को उन्मोचन के लिए, उसके कमीशन को घटाकर ऐसे विक्रय के आगम को सरकार को निक्षेप करेगा और अधिशेष रकम, यदि कोई हो, का संदाय ऐसे लिखत या अंश के स्वामी को करेगा।

(6) उचित अधिकारी, नीलामी में, भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम का संदाय करने में असफल हो जाता है तो उसे समपहृत किया जा सकेगा।

(7) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन से पूर्व नहीं होगा।

परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उनको अभिरक्षा में रखने का व्यय उनकी कीमत से अधिक होना संभवनीय है, तो अधिकारी उन्हें तुरंत विक्रय कर सकेगा।

(8) जहां कोई या आक्षेप किसी संपत्ति की कुर्की या करस्थम् के संबंध में इस आधार पर किया जाता है या उठाया जाता है कि ऐसी संपत्ति ऐसी कुर्की या करस्थम् के लिए दायी नहीं है, वहां उचित अधिकारी ऐसे दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा और विक्रय को ऐसे समय के लिए, जैसा वह ठीक समझे, मुलतवी कर सकेगा।

(9) दावा या आक्षेप करने वाला व्यक्ति साक्ष्य देगा कि उपनियम (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख को कुर्की या करस्थम् के अधीन प्रश्नगत संपत्ति में वह कब्जे में था या उसका कुछ हित था।

(10) जहां अन्वेषण करने पर उचित अधिकारी का दावा या आक्षेप में कथित कारण से, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति उक्त तारीख को व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी या व्यतिक्रमी के या उक्त तारीख पर व्यतिक्रमी के कब्जे में होने के कारण यह उसके कब्जे में नहीं थी जहां अन्वेषण पर, उचित अधिकारी का दावे या आक्षेप में कथित कारणों से यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को ऐसी सम्पत्ति, व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के, कब्जे में नहीं थी या वह उक्त तारीख को जो व्यतिक्रमी के कब्जे में थी, वह उसके स्वयं की या उसके स्वामित्वाधीन सम्पत्ति नहीं थी अपितु किसी अन्य व्यक्ति की या उसके न्यास की थी या भागतः उसकी स्वयं की और भागतः किसी अन्य व्यक्ति की थी, वहां उचित अधिकारी, ऐसी सम्पत्ति को, पूर्णतः या ऐसे विस्तार तक, जो वह ठीक समझे, कुर्की या करस्थम् से निर्मोचन का अधिकार देगा।

(11) जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को संपत्ति व्यतिक्रमी के कब्जे में उसकी अपनी संपत्ति के रूप में थी, न कि किसी अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी पर, या उसके लिए न्यास में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में था या किसी किरायेदार या किसी अन्य व्यक्ति जो उसे किराया दे रहा था, के अधिभोग में था उचित अधिकारी दावा नामंजूर करेगा और नीलामी के माध्यम से विक्रय की प्रक्रिया अग्रसर करेगा।

(12) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11 में सूचना, उससे अपेक्षा करते हुए कि रकम का संदाय ऐसे सूचना की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर करे, जारी करेगा और जब उक्त संदाय हो जाता है तो वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी 12 में संपत्ति के ब्यौरे, अंतरण की तारीख, बोली लगाने वाले के ब्यौरे और संदत्त रकम, विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र जारी होने पर ऐसे बोली लगाने वाले को संपत्ति में अधिकार, हक और हित अंतरित समझे जाएंगे :

परन्तु जहां अधिकतम बोली एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है और उनमें से एक संपत्ति का सहस्वामी है वहां वह सफल बोली लगाने वाला समझा जाएगा।

(13) उपनियम (12) में विनिर्दिष्ट संपत्ति के अंतरण के संबंध में देय कोई रकम, जिसके अंतर्गत स्टाम्प शुल्क, कर या फीस भी है, उस व्यक्ति द्वारा सरकार को संदत्त की जाएगी जिसे ऐसी संपत्ति में हक अंतरित किया जाता है।

(14) उपनियम (4) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, जहां व्यतिक्रमी वसूली अधीन रकम का संदाय करता है, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी हैं, वहां उचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया को रद्द करेगा और माल को निर्मोचित करेगा।

(15) जहां कोई बोलियां प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों की के कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुनः- नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा।

148. अधिकारी द्वारा बोली लगाने या क्रय करने का प्रतिषेध--कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत किसी विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का निर्वहन करता है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, विक्रय संपत्ति में किसी हित का अर्जन या हित अर्जन करने का प्रयास करने के लिए बोली नहीं लगाएगा।

149. अवकाश-दिन पर विक्रय करने का प्रतिषेध--इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत, रविवार या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य साधारण अवकाश-दिन पर या किसी अन्य दिन, जो सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए जिसमें विक्रय किया जाना है अवकाश-दिन घोषित किया गया है, कोई विक्रय नहीं किया जाएगा।

150. पुलिस द्वारा सहायता -- उचित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले पुलिस स्टेशन के भारसाधक-अधिकारी से ऐसी सहायता जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो, मांग सकेगा और उक्त भारसाधक अधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात करेगा।

151. ऋणों और शेयरों आदि की कुर्की -- (1) कोई ऋण जो परक्राम्य लिखत द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है, निगम में शेयर या अन्य जंगम सम्पत्ति जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, सिवाए ऐसी सम्पत्ति के जो निक्षेप की गई है या किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, प्ररूप जीएसटीडी आरसी-16 में लिखित आदेश द्वारा,--

- (क) ऋण के मामले में लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उसका संदाय करने से जबतक कि उचित अधिकारी से अतिरिक्त आदेश प्राप्त नहीं किया जाता ;
- (ख) शेयर के मामले में व्यक्ति जिसके नाम में शेयर धारित हो, को उसे अंतरित करने से या उस पर कोई लाभांश प्राप्त करने से ;
- (ग) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को इसे व्यतिक्रमी को देने से प्रतिषिद्ध करते हुए कुर्क किया जाएगा ।

(2) ऐसे आदेश की एक प्रति उचित अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाया जाएगा, और एक अन्य प्रति ऋण के मामले में, ऋणी को भेजी जाएगी, और शेयरों के मामलों में, निगम के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी और अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

(3) उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध कोई ऋणी, अपने ऋण की राशि का संदाय उचित अधिकारी को कर सकेगा, और ऐसा संदाय व्यतिक्रमी को संदेय किया गया समझा जाएगा ।

152. न्यायालयों या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में सम्पत्ति की कुर्की — जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां उचित अधिकारी ऐसे न्यायालय या अधिकारी को यह अनुरोध करते हुए कुर्की का आदेश भेजेगा कि, ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय कोई ब्याज या लाभांश, संदेय राशि की वसूली तक धारित कर लिया जाए ।

153. भागीदारी में हित की कुर्की -- (1) जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति में, व्यतिक्रमी का किसी भागीदारी में एक भागीदार होने पर एक हित सम्मिलित है, वहां उचित अधिकारी प्रमाणपत्र के अधीन, शोध्य राशि के ऐसे संदाय के साथ भागीदारी सम्पत्ति में ऐसे भागीदार के हिस्से और लाभों को प्रभारित करते हुए एक आदेश कर सकेगा और उसी या पश्चात्पूर्ति आदेश द्वारा ऐसे लाभों जो पहले से ही घोषित हों या प्रोद्भूत हुए हैं और ऐसे अन्यधन जो उसे भागीदारी के सम्बन्ध में उस पर शोध्य हो गए हों में ऐसे भागीदार के हिस्से के सम्बन्ध में रिसीवर नियुक्त कर सकेगा, लेखा और जाँच के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे हित के विक्रय के लिए आदेश कर सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा हो ।

(2) अन्य भागीदारों को किसी भी समय, प्रभारित हित का मोचन करने या विक्रय का निदेश किए जाने की दशा में, उसका क्रय करने की स्वतंत्रता होगी ।

154. माल और जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के आगमों का व्ययन -- किसी व्यतिक्रमी से शोध्य की वसूली के लिए, माल, जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से इस प्रकार प्राप्त की गई रकमें,--

(क) प्रथमतया, वसूली प्रक्रिया पर हुए प्रशासनिक व्यय के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ;

(ख) तत्पश्चात् वसूली की जाने वाली रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ;

(ग) तत्पश्चात् अधिनियम, या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) या किसी राज्य का राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यतिक्रमी से शोध्य किसी अन्य रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ; और

(घ) व्यतिक्रमी को संदत्त किए जाने वाले किसी अधिशेष के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ।

155. भू-राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से वसूली -- जहां किसी रकम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के उपबंधों के अनुसार वसूली की जानी है, वहां उचित अधिकारी जिले के कलक्टर या उपायुक्त को या प्ररूप जीएसटीडी आरसी-18 में इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को एक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र में, विनिर्दिष्ट रकम की सम्बंधित व्यक्ति से वसूली के लिए भेजेगा, जैसे कि यह भू-राजस्व की बकाया रकम थी।

156. न्यायालय के माध्यम से वसूली -- जहां किसी रकम की ऐसे वसूली की जानी है जैसे कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अधिरोपित जुर्माना हो, वहां उचित अधिकारी धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के उपबंधों के अनुसार समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्ररूप जीएसटीडी आरसी-19 में सम्बंधित व्यक्ति से तद्विनिर्दिष्ट रकम की वसूली के लिए एक आवेदन करेगा, जैसे कि यह उसके द्वारा अधिरोपित एक जुर्माना हो।

157. प्रतिभू से वसूली -- जहां कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी पर शोध्य रकम के लिए प्रतिभू बना है, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जैसे कि वह व्यतिक्रमी हो।

158. किस्तों में कर और अन्य रकमों का संदाय -- (1) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अधीन शोध्य करों या किसी रकम के संदाय के लिए समयावधि के विस्तार की ईप्सा करते हुए या धारा 80 के उपबंधों के अनुसार किस्तों में ऐसे करों या रकम के संदाय को अनुज्ञात करने के लिए प्ररूप जीएसटीडी आरसी-20, में इलैक्ट्रोनिकली आवेदन फाइल किए जाने पर, आयुक्त, उक्त रकम का संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति की वित्तीय योग्यता के सम्बंध में, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी से रिपोर्ट की माँग करेगा।

(2) कराधेय व्यक्ति की प्रार्थना और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, आयुक्त कराधेय व्यक्ति को संदाय करने के लिए अतिरिक्त समय और/या रकम का ऐसी मासिक किस्तों में, जो चौबीस से अनधिक हो, जैसा वह उपयुक्त समझे, संदाय अनुज्ञात करते हुए, प्ररूप जीएसटीडी आरसी-21 में एक आदेश जारी कर सकेगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सुविधा, वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां--

(क) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी रकम का संदाय करने का पहले से व्यतिक्रमी है जिसके लिए वसूली प्रक्रिया चालू है;

(ख) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किस्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है;

(ग) कोई रकम, जिसके लिए किस्त सुविधा की ईप्सा की गई है, पच्चीस हजार रुपयों से कम है।

159. सम्पत्ति की अनंतिम कुर्की -- (1) जहां आयुक्त धारा 83 के उपबंधों के अनुसार बैंक खाता सहित, किसी सम्पत्ति की कुर्की करने का विनिश्चय करता है, वहां वह प्ररूप जीएसटीडी आरसी-22 में तद्विनिर्दिष्ट सम्पत्ति जो कुर्की की गई है के विवरणों का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा।

(2) आयुक्त कुर्की के आदेश की प्रति सम्बंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, कि वह उक्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति पर विल्लंगम रखे, जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा।

(3) जहां कुर्की की गई सम्पत्ति विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की है, और यदि कराधेय व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के समतुल्य रकम का संदाय करता है या ऐसी रकम का संदाय करता है या ऐसी रकम का संदाय करता है जो कराधेय व्यक्ति पर संदेय है या संदेय बन जाती है, जो भी न्यून हो, तब ऐसी सम्पत्ति, संदाय के सबूत पर, प्ररूप जीएसटीडी आरसी-23 में एक आदेश द्वारा तुरंत निर्मुक्त की जाएगी।

(4) जहां कराधेय व्यक्ति विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपनियम (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में विफल रहता है, वहां आयुक्त ऐसी सम्पत्ति का व्ययन कर सकेगा और तद् द्वारा प्राप्त रकम, कर, ब्याज, शस्ति, शुल्क या कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी अन्य रकम के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

(5) कोई व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति कुर्की की गई है, कुर्की के सात दिवसों के भीतर, उपनियम (1) के अधीन इस प्रभाव की एक आपत्ति फाइल कर सकेगा कि कुर्की की गई सम्पत्ति कुर्की किए जाने के लिए दायी नहीं थी या है, और आयुक्त आपत्ति फाइल करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटीडी आरसी-23 में एक आदेश द्वारा उक्त सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।

(6) आयुक्त इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि सम्पत्ति कुर्की के लिए और अधिक दायी नहीं थी या है, प्ररूप जीएसटीडी आरसी-23 में एक आदेश जारी करते हुए ऐसी सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।

160. समापनाधीन कंपनी से वसूली -- जहां कंपनी समापनाधीन है जैसा कि धारा 88 में विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां आयुक्त, कर, ब्याज, शास्ति दर्शित करते हुए कोई रकम या अधिनियम के अधीन शोध्य किसी अन्य रकम की वसूली के लिए प्ररूप जीएसटीडी आरसी-24 में समापक को अधिसूचित करेगा।

161. कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना -- धारा 84 के अधीन किसी माँग में कमी या वृद्धि के लिए आदेश प्ररूप जीएसटीडी आरसी-25 में जारी किया जाएगा।

अध्याय 19

अपराध और शास्तियाँ

162. अपराधों के प्रशमन के लिए प्रक्रिया -- (1) कोई आवेदक, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीसी पीडी-01 में, अपराध के प्रशमन के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त, आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या कोई अन्य सूचना, जो ऐसे आवेदन की परीक्षा के लिए सुसंगत विचार की जा सकेगी, के संदर्भ में सम्बंधित अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेंगा।

(3) आयुक्त, आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर, उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तु पर विचार करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटीसीपीडी-02 में आदेश द्वारा या तो इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि आवेदक ने उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और मामले से सम्बन्धित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है, यह प्रशमित रकम इंगित करते हुए आवेदन मंजूर कर सकेगा और उसे अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है या ऐसा आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन आवेदन का विनिश्चय, आवेदक को उस पर सुनवाई का अवसर दिए बिना और ऐसी नमजूरी के कारणों को अभिलिखित किए बिना नहीं किया जाएगा।

(5) आवेदन अनुज्ञात नहीं जाएगा जबतक संदाय के लिए दायी कर, ब्याज और शास्ति का मामले में संदाय नहीं कर दिया जाता जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(6) आवेदक उप नियम (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर आयुक्त द्वारा आदेश की गई प्रशमित रकम का संदाय करेगा और उन्हें ऐसे संदाय का सबूत प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि आवेदक उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रशमित रकम का संदाय करने में विफल रहता है, तब उप नियम (3) के अधीन किया गया आदेश दूषित और शून्य हो जाएगा।

(8) किसी व्यक्ति को उप नियम (3) के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति, आयुक्त द्वारा किसी समय भी प्रत्याहृत की जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने प्रशमन कार्यवाहियों के अनुक्रम में, कोई तात्विक विशिष्टियाँ छिपायी थी या मिथ्या साक्ष्य दिया था तदुपरि ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, जो कि उसके द्वारा प्रशमन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कारित किया गया प्रतीत होता है और अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जैसे कि ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई थी।

(vii) "प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-02, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-04, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-05, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-06, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-07 और प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-10" निम्नलिखित के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-02, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-04, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-05, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-06, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-07, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-10 और प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-11"।"

प्ररूप – जीएसटी-आरएफडी-01

[नियम 89(1) देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन

चयन – रजिस्ट्रीकृत/आकस्मिक/अरजिस्ट्रीकृत/अनिवासी कराधेय व्यक्ति

1. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी:
2. विधिक नाम :
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
4. पता :
5. कर अवधि : <दिन/मास/वर्ष> से <दिन/मास/वर्ष>

6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम :

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

7. दावा किए गए प्रतिदाय के आधार (नीचे से चयन करें) :

(क) इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अतिरिक्त अतिशेष :

(ख) सेवाओं का निर्यात--कर के संदाय सहित :

(ग) माल/सेवाओं का निर्यात--कर के संदाय के बिना उदरहणार्थ, संचित इनपुट कर प्रत्यय

(घ) निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण—

(i) आदेश के प्रकार चयन :

निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/ अन्य

(ii) निम्नलिखित व्यौरों का उल्लेख करें, --

1. आदेश संख्या ;

2. आदेश की तारीख <कलेंडर>

3. आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी

4. संदाय संदर्भ संख्या (प्रतिदाय के रूप दावे के लिए रकम)

(यदि आदेश सिस्टम के भीतर जारी किया जाता है, तो 2,3,4 स्वतः वासित)

(ङ) विपर्यस्त कर ढांचा के लिए निवेश कर प्रत्यय संचित (धारा 54(3)) के परन्तुक के खंड (ii)

(च) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता या समझे गए निर्यात प्रापक के लिए गए प्रदाय पर—

(प्रदायकर्ता/प्राप्तिकर्ता के प्रकार चयन करें)

1. विशेष आर्थिक जोन इकाई के लिए प्रदाय

2. विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता को प्रदाय

3. माने गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता ।

(छ) विशेष आर्थिक जोन युनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय पर संचित इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय

(ज) प्रदाय पर संदत्त कर जिसे उपबंधित नहीं किया गया है, या तो पूर्णतः या भागतः और जिसके लिए बीजक जारी किया गया है ।

(झ) राज्यांतरिक पर संदत्त कर पर जिसे अन्तराज्यिक और विपर्ययेन धारित किया जाए ।

(ञ) कर की अधिकता संदाय, यदि कोई हो

(ट) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

8. बैंक लेखा के व्यौरे (रजिस्ट्रीकृत करदाता के मामले में आरसी से स्वतः वासित)

(क) बैंक खाता संख्या :

(ख) बैंक का नाम :

(ग) बैंक खाता प्रकार :

(घ) खाता धारक का नाम :

(ड) बैंक शाखा का पता :

(च) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) :

(छ) मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकागनाइजेशन (एमआईसीआर) :

9. क्या धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा स्व घोषणा फाइल की गई है, यदि लागू हो
हां नहीं

घोषणा

मैं तदनुसार घोषणा करता हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के लिए कोई विषय नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि माल या सेवाएँ दोनों पर कोई प्रतिदाय प्राप्य नहीं है और कि मैंने प्रदाय पर संदत्त कर एकीकृत कर जिसकी बाबत प्रतिदाय दावा किया गया है, के प्रतिदाय हेतु दावा नहीं किया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन में किए गए दावा निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय दरों पर शून्य के लिए उपयोजित माल या सेवाओं पर प्राप्य किया था या पूर्णतः छूट जो प्रदाय करता है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा

मैं/हम..... (आवेदक) जिसके पास माल या सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईडी..... सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करता हूँ/करते हैं और प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि कर, ब्याज या उसकी अवधि से तक के लिए कर, ब्याज, या कोई अन्य रकम के बारे में रुपए के लिए उसकी कोटि प्रतियाँ की बाबत आवेदन प्रतिदाय में दावा किया गया है, ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी व्यक्ति द्वारा पारित नहीं किया गया है।

(इस घोषणा का ऐसे आवेदकों द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)।

10 सत्यापन

मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इस मद्दे कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है।

स्थान

प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

कथन 1:**(उपाबंध-1)**

प्रतिदाय प्रकार : विपरीत क्रम कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के परंतुक के खंड (ii)]

भाग क: जावक प्रदाय

(जीएसटी आर-1 : सारणी 4 और 5) :

जीएसटीआईएन/यूआईएन का संख्या	बीजक के ब्यौरे तारीख	मूल्य	दर	कर की रकम			रकम	प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)		
				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भाग क : आवक प्रदाय :

जीएसटी आर-2 : सारणी 3 (मिलाए गए बीजक) :

.....कर अवधि

प्रदायकर्ता का जीएसटीआ ईएन	बीजक के ब्यौरे		दर	करा धेय मूल्य	कर की रकम				क्या इनपुट या इनपुट सेवा/पूजीमाल (जिसके अंतर्गत प्लॉट और मशीने हैं)/आईटीसी के लिए अपात्र हैं	उपलब्ध आईटीसी की रकम				
	सं०	तारीख मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र उपकर कर	एकीकृत कर		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16

टिप्पण: डाटा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 से स्वतः भरा जाएगा

कथन 2:

प्रतिदाय का प्रकार :

कर संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(जीएसटीआर-1 : सारणी - 6क और सारणी -9)

1.

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे				एकीकृत कर			वीआरसी/एफआईआरसी		संशोधित मूल्य (एकीकृत कर) (यदि कोई है)	नामोनोट एकीकृत कर/संशोधित कर (यदि कोई है)	जमापत्र एकीकृत कर/संशोधि त (यदि कोई है)	शुद्ध एकीकृत कर $= (11/8) + 12$ -13
	सं०	तारीख	मूल्य	एसएसी	दर	कराधेय कर	रकम	संख्यां	तारीख				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6क. निर्यात													

बीआरसी/ एफआईआरसी के ब्यौरे, आज्ञापक है—सेवाओं के मामले में)

कथन 3:

परिदाय का प्रकार:

कर के संदाय के बिना निर्यात-संचित आईटीसी

(जीएसटीआईआर-1: सारणी 6क)

1.

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईआर-1	बीजक के ब्यौरे						पत्तन कोड			एकीकृत कर		इजीएम ब्यौरे		बीआरसी/फ आईआरसी			
	सं०	तारीख	मूल्य	माल/सेवा (मा/से)	एचएसएन/एसएसी	यूक्यूसी	परिमाण	संख्यां	तारीख	कोड	दर	कराधेय मूल्य	रकम	संदर्भ सं०	तारीख	सं०	ता०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6क. निर्यात																	

टिप्पण-1. पोत परिवहन पत्र और ईजीएम आज्ञापक है — माल के मामले में ।

2. बीआरसी/एफआईआरसी के ब्यौरे आज्ञापक है — सेवाओं के मामले में।

कथन:7**प्रदाय का प्रकार : कर का अधिक संदाय, यदि कोई टर्मिनल विवरणी फाइल करने की दशा में****(करदाता की दशा में जिसने जीएसटीआर विवरणी फाइल की है - सारणी 12)**

क्रम सं.	कर अवधि	विवरणी की संदर्भ सं०	विवरणी फाइल करने की तारीख	संदेय कर			
				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8

उपाबंध-2**प्रमाणपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि कर अवधि के लिए.....माल और सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईडी, मैसर्स..... (आवेदक का नाम) द्वारा(शब्दों में) आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संबंध में कर और ब्याज का आपतन किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है। यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा विशेष रूप से अनुरुक्षित/दिए गए लेखा पुस्तकों और अन्य सुसंगत अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार पर है।

चार्टर्ड आकाउन्टेन्ट/लागत लेखाकार के हस्ताक्षर :

नाम :

सदस्यता संख्या :

स्थान :

तारीख :

यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (ड.) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय दावा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप जीएसटी आरएफडी - 02**[नियम 90(1), 90(2) और 95(2) देखें]****अभिस्वीकृति**

प्रतिदाय के लिए आपका आवेदन का <आवेदन संदर्भ संख्या > के विरुद्ध अभिस्वीकृत कर लिया गया है।

अभिस्वीकृति संख्या :

अभिस्वीकृति की तारीख:

जी एसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आई डी, यदि लागू हो :

आवेदक का नाम:

प्ररूप सं. :

प्ररूप विवरण:

अधिकारिता (समुचित निशान लगाएं) :

केन्द्रीय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र :

द्वारा भरा गया

प्रतिदाय आवेदन ब्यौरा	
कर अवधि	
फाइल करने की तारीख और समय	
प्रतिदाय के लिए कारण	

दावाकृत प्रतिदाय की रकम

	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सेवा कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

टिप्पण 1 : आवेदन की प्रास्थिति जीएसटी प्रणाली पोर्टल पर ट्रैक आवेदन प्रास्थिति <प्रतिदाय > के माध्यम से आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करने से देखी जा सकती है।

टिप्पण 2: यह एक प्रणाली उत्पन्न अभिस्वीकृति है और इसमें हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप जीएसटी आरएफडी- -04

/नियम 91(2) देखें/

मंजूरी आदेश सं. :

तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में

_____ (माल और सेवा कर पहचान संख्या

_____ (नाम)

_____ (पता)

अनंतिम प्रतिदाय आदेश

प्रतिदाय आवेदन संदर्भ सं. (ए आर एन).....तारीख तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

अभिस्वीकृति सं.....तारीख..... <दिन /मास /वर्ष >

महोदय /महोदया,

प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में, निम्नलिखित रकम अनंतिम आधार पर आपको स्वीकृत की जाती है :

क्रम सं.	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम				
(ii)	दावाकृत रकम का 10% प्रतिदाय के रूप में				

	(बाद में स्वीकृत किया जाएगा)				
(iii)	बकाया रकम (i-ii)				
(iv)	स्वीकृत प्रतिदाय की रकम				
	बैंक विवरण				
(v)	आवेदन के अनुसार बैंक खाता संख्या				
(vi)	बैंक का नाम				
(vii)	बैंक /शाखा का पता				
(viii)	आई एफ एस सी				
(ix)	एम आई सी आर				

तारीख:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05
/नियम 91(3), 92(4), 92(5) और 94 देखें/
संदाय परामर्श

संदाय परामर्श सं.

तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में, <केन्द्रीय> पीएओ/खजाना/आरबीआई/बैंक

प्रतिदाय स्वीकृति आदेश सं.

आदेश तारीख.....<दिन /मास /वर्ष >.....

जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी <>

नाम: <>

प्रतिदाय रकम (आदेश के अनुसार) :

विवरण	एकीकृत कर						केन्द्रीय कर						राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						उपकर											
	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल						
स्वीकृत शुद्ध प्रतिदाय की रकम																														
लंबित प्रतिदाय पर ब्याज																														
कुल																														

टिप्पण: कर के लिए "टी", ब्याज के लिए "आई", शास्ति के लिए "पी", फीस से लिए "एफ", अन्य के लिए "ओ"

	बैंक के ब्यौरे	
(i)	आवेदन के अनुसार बैंक खाता संख्या	
(ii)	बैंक का नाम	
(iii)	बैंक/शाखा का नाम और पता	
(iv)	आईएफएससी	
(v)	एमआईसीआर	

तारीख:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

सेवा में

.....(जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईडी)

.....(नाम)

.....(पता)

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06**[नियम 92 (1), 92(3), 92(4), 92(5) और 96(7) देखें]**

आदेश सं.

तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में,

..... (जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईडी)

.....(नाम)

.....(पता)

कारण बताओ नोटिस संख्या (यदि लागू हो)

अभिस्वीकृति संख्या

तारीख:.....<दिन /मास /वर्ष >.....

मंजूर किया गया प्रतिदाय/अस्वीकृत आदेश

महोदय/महोदया,

यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में /*प्रतिदाय पर ब्याज*/

<<प्रतिदाय मंजूर करने या नमंजूर करने के कारण, यदि कोई हो>>

आपके आवेदन का परीक्षण करने पर आपको मंजूर प्रतिदाय की रकम बकाया (जहां लागू है) के समायोजन के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित है :-

*जहां लागू न हो उसे काट दें

विवरण	एकीकृत कर						केन्द्रीय कर						राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						उपकर											
	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल						
1. दावाकृत प्रतिदाय/ ब्याज* की																														

रकम																				
2. अंतिम आधार पर स्वीकृत प्रतिदाय (आदेश सं...तारीख) सं.तारीख) (यदि लागू हो)																				
3. अग्रह्य प्रतिदाय रकम <<कारण नीचे करें>> <अनुज्ञात के लिए बहु कारण>																				
4. संदत्त की जाने वाली सकल रकम (1-2-3)																				
5. विद्यमान विधि या अधिनियम के अधीन परादेय मांग पर समायोजित रकम (यदि कोई है) मांग आदेश संख्या....., अधिनियम अवधि<संभव बहु पंक्तियां- दी गई पंक्तियां जोड़ें>																				
6. शुद्ध संदत्त रकम																				

टिप्पणः कर के लिए "टी", ब्याज के लिए "आई", शास्ति के लिए "पी", फीस से लिए "एफ", अन्य के लिए "ओ"

*जो लागू न हो उसे काट दें।

&1. मैं, अधिनियम@ की धारा 56 के अधीन /अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स.....को आई एन आर.....की रकम की मंजूरी देता हूं।

@ जो लागू न हो उसे काट दें।

(क) और रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय किया गया है

(ख) रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्यां 5 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित किया गया है।

(ग)रूप की रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित किया है और शेष.....रूप की रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय कर दिया गया है।

#जो लागू न हो उसे काट दें।

या

&2 मैं, अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि को आई एन आर.....की रकम जमा करता हूँ।

&3 मैं, अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स.....को आई एन आर.....की रकम को निरस्त करता हूँ।

& जो लागू न हो उसे काट दें।

मैं धारा 56 के अधीन आवेदक को प्रतिदाय की रकम की तारीख तक ब्याज के संदाय का आदेश देता हूँ।

तारीख:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07

[नियम 92(1), 92(2), 96(6) देखें]

संदर्भ सं.

तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में,

..... (जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईडी सं.)

.....नाम

.....(पता)

अभिस्वीकृति संख्या

तारीख:.....<दिन /मास /वर्ष >.....

स्वीकृत प्रतिदाय के पूर्ण समायोजन के लिए आदेश

भाग - क

महोदय/महोदया,

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपको स्वीकृत किए गए प्रतिदाय की रकम के विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया गया है जो ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित है :-

	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम				
(ii)	अनंतिम आधार पर नेट मंजूर प्रतिदाय				

(iii)	अस्वीकृत अग्रह्य प्रतिदाय रकम <<कारण उल्लेख कीजिए >>				
(iv)	प्रतिदाय अनुज्ञेय (i-ii-iii)				
(v)	विद्यमान विधि के अधीन या इस विधि के अधीन बकाया मांग (आदेश सं.....के अनुसार) के विरुद्ध समायोजित प्रतिदाय मांग आदेश सं..... तारीख..... <बहु-पंक्तियों में दी जा सकती है>				
(vi)	प्रतिदाय रकम का शेष	शून्य	शून्य		शून्य

मैं, यह आदेश देता हूँ कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन विद्यमान विधि के अधीन बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर ली जाए। इस आवेदन का निपटारा अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है।

या

भाग- ख

प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश

यह आपके ऊपर निर्दिष्ट प्रतिदाय आवेदन और मामले में दी गई सूचना/दस्तावेजों के संदर्भ में है। आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम निम्नलिखित कारणों से प्रतिधारित कर दी गई है :

प्रतिदाय आदेश सं. :					
आदेश दारी करने की तारीख:					
	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्यक्षेत्रकर	उपकर
i.	मंजूर प्रतिदाय की रकम				
ii.	रोके गए प्रतिदाय की रकम				
iii.	अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम				

प्रतिदाय रोकने के लिए कारण

<<पाठ>>

मैं, यह आदेश देता हूँ कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए रोक दी गई। यह आदेश इस अधिनियम की धारा (.....) उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10**/नियम 95(1) देखें/**

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास आदि द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. यूआईएन :
2. नाम :
3. पता :
4. कर अवधि (तिमाही) : दिन /मास /वर्ष सेतक
<दिन /मास /वर्ष >
5. दावा प्रतिदाय की रकम <आई एन आर ><शब्दों में>

	रकम
केन्द्रीय कर	
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	
एकीकृत कर	
उपकर	
कुल	

6. बैंक खाते का ब्यौरा:
 - (क) बैंक खाता संख्या
 - (ख) बैंक खाते का प्रकार
 - (ग) बैंक का नाम
 - (घ) खाता धारक / संचालक का नाम
 - (ङ) बैंक शाखा का पता
 - (च) आई एफ एस सी
 - (छ) एम आई सी आर
7. संदर्भ संख्या और दिए गए प्ररूप जीएसटीआर-11 की तारीख
8. सत्यापन

मैं,>दूतावास /अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रूप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं।

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम / प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11**[नियम 96क देखें]**

माल या सेवाओं के निर्यात के लिए दिया गया बंधपत्र या परिवचन पत्र

1. जीएसटीआईएन				
2. नाम				
3. दिए गए दस्तावेज का प्रकार उपदर्शित करें			बंधपत्र <input type="checkbox"/>	परिवचन पत्र <input type="checkbox"/>
4. दिए गए बंधपत्र का ब्यौरा				
क्रम सं०	बैंक गारंटी की संदर्भ संख्या	तारीख	रकम	बैंक का नाम और शाखा
1	2	3	4	5

टिप्पण : बैंक गारंटी और बंधपत्र की टोस प्रति अधिकारिता अधिकारी को दी जाएगी ।

5. घोषणा-

- (i) ऊपर उल्लिखित बैंक गारंटी, माल और सेवाओं के निर्यात पर संदेय एकीकृत कर को सुरक्षित करने के लिए जमा की गई हैं
- (ii) मैं इसके अवसान से पूर्व बैंक गारंटी के नवीकरण का परिवचन पत्र करता हूँ । मेरे/हमारे ऐसा करने में विफल रहने की दशा में, विभाग बैंक से बैंक गारंटी पर संदाय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।
- (iii) विभाग, माल या सेवा के निर्यात के संदर्भ में एकीकृत कर संदेय की रकम को आच्छादित करने के लिए हमारे द्वारा दी गई बैंक गारंटी को अवलंब करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति.....

तारीख.....

एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए बंधपत्र**(नियम 96क देखें)**

मैं/हम.....इसमें इसके पश्चात् "बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों)" कहा जाएगा, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है) के प्रति.....रु.की रकम का राष्ट्रपति को संदाय करने के लिए वचनबद्ध और दृढतापूर्वक आबद्ध हूँ/हैं ।

इसका संदाय पूर्णतः और सही रूप में किए जाने के लिए मैं/हम संयुक्त रूप से और पृथकतः स्वयं को/अपने को और अपने हमारे क्रमिक वारिसों/निष्पादकों/प्रशासकों/विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों को इस विलेख द्वारा दृढतापूर्वक आबद्ध करता हूँ/करते हैं/तारीख.....को इस पर हस्ताक्षर किए गए ।

उपरोक्त आबद्धकर बाध्यताधारी द्वारा को समय-समय पर एकीकृत कर का संदाय किए बिना भारत के बाहर निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए अनुज्ञप्त किया गया है ;

और बाध्यताधारी धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं का निर्यात करने की वांछा रखता है/रखते हैं ;

और आयुक्त, बाध्यताधारी से राष्ट्रपति के पक्ष में पृष्ठांकित.....रूप रकम की बैंक प्रतिभूति देने की अपेक्षा करता है और जबकि बाध्यताधारी ने आयुक्त के पास ऊपर उल्लिखित बैंक प्रत्याभूति जमा करके ऐसी प्रतिभूति दे दी है।

इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी और उसका प्रतिनिधि, माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करें ;

और यदि सुसंगत और विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं का सम्यक् रूप से निर्यात किया जाता है;

और यदि ऐसे एकीकृत कर और अन्य सभी विधिक प्रभारों के सभी शोध्यों का ब्याज सहित, यदि कोई हो, सम्यक् रूप से, उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में की गई उसकी मांग की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संदाय कर दिया गया है तो यह बाध्यता शून्य हो जाएगी ;

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के पालन का भंग या असफल होने के आधार पर उसका पूर्ण बल और आधार होगा ;

और राष्ट्रपति, अपने विकल्प पर, बैंक प्रत्याभूति की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र के अधीन अपने अधिकारों का पृष्ठांकन करके या दोनों से सभी हानि और नुकसानों को पूरा करवाने के लिए सक्षम होंगे।

मैं/हम यह और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यह बंधपत्र, किसी ऐसे कृत्य के अनुपालन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है ;

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) द्वारा इसमें इसके पूर्व लिखित तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) का (के) हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

साक्षी

(1) नाम और पता

व्यवसाय

(2) नाम और पता

व्यवसाय

मैं आज,तारीख.....(मास)(वर्ष) को (पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूँ।

एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए परिवचनपत्र

(नियम 96क देखें)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है), उचित अधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए

मैं/हम..... निवासी(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का पता), जिसका/जिनका माल और सेवा कर पहचान सं. है, इसमें इसके पश्चात् परिवचनकर्ता कहा जाएगा, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से स्वयं को/अपने को, मेरे/हमारे वारिसों, निष्पादकों/प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों सहित राष्ट्रपति के प्रति,--

(क) नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर एकीकृत कर का संदाय किए बिना माल और सेवाओं का निर्यात करने;

(ख) माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करने ;

(ग) माल या सेवाओं के निर्यात करने में असफल होने पर एकीकृत कर का, बीजक की तारीख से संदाय की तारीख तक का ऐसे ब्याज सहित संदाय करने के लिए, जो संदत्त न किए गए कर की रकम पर अठारह प्रतिशत वार्षिक रकम के बराबर होगी,

आज तारीख को इस विलेख द्वारा दृढतापूर्वक आबद्ध करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यह परिवचन ऐसी अधिनियमितियों के जिनमें जनताहितबद्ध है, अनुपालन के लिए उचित अधिकारी के आदेश के अधीन दिया जाता है।

इसके साक्ष्य स्वरूप परिवचनकर्ता (परिवचनकर्ताओं) द्वारा इसमें इसके पूर्व तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

परिवचनकर्ता (परिवचनकर्ताओं) का (के) हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

साक्षी

(1) नाम और पता

व्यवसाय

(2) नाम और पता

व्यवसाय

मैं आज,तारीख.....(मास)(वर्ष) को (पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूँ।

प्ररूप जीएसटी आईएनएस - 01

निरीक्षण और तलाशी के लिए प्राधिकरण

(नियम 139(1) देखें)

सेवा में,

.....

.....

(अधिकारी का नाम और पदनाम)

चूंकि, मेरे समक्ष सूचना प्रस्तुत की गई है और मुझे विश्वास करने का कारण है कि.....

अ. मैसर्स.....

- माल और/या सेवाओं के प्रदाय से संबंधित संव्यवहारों को छिपाया गया है
- हस्तगत माल के स्टॉक से संबंधित संव्यवहारों को छिपाया गया है
- अधिनियम के अधीन अपने हकदारी के अतिरिक्त निवेश कर प्रत्यय का दावा किया है
- अधिनियम के अधीन अपने हकदारी के अतिरिक्त प्रतिदाय का दावा किया है
- इस अधिनियम के अधीन कर का अपवंचन, उसके अधीन बनाये गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में अनुग्रह किया है ;

या

आ. मैसर्स.....

- माल के संदाय से बच निकलने के लिए माल परिवहन के कारबार में वचनबद्ध किया है
- कर के संदाय से बचने के लिए भांडागार या गोदाम या स्थान के स्वामी या प्रचालक द्वारा जहां माल का भंडार किया गया है
- इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन करने के लिए उस रीति में लेखा या माल को रखा गया है

या

- अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत जब्ती योग्य माल/ दस्तावेजों को कारबार/ आवासीय परिसर में गुप्त रखा गया है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है

<<परिसरों का ब्यौरे>>

इसलिए.—

- मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों और/ या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें।

या

- मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों और/या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें और यदि कुछ पाया जाता है, तो इसके अधीन आगे की कार्यवाही के लिए उसे जब्त करके उसे प्रस्तुत करें।

किसी व्यक्ति द्वारा भुलावा देने का, साक्ष्य को बिगाड़ने का, निरीक्षण/ तलाशी की प्रक्रिया के दौरान सुसंगत प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करने का कोई भी प्रयत्न, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 179, 181, 191 और 418 सपठित अधिनियम के अधीन कारावास और/ या जुर्माना के साथ दण्डनीय होगा।

दिन.....मास.....20.....वर्ष में मेरा हस्ताक्षर और मुद्रा।दिनों के लिए वैध।

मुद्रा

स्थान

जारी करने वाले प्राधिकारी का

हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

निरीक्षण करने वाले अधिकारी/अधिकारियों का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

(i)

(ii)

प्ररूप जीएसटी आईएनएस - 02**अभिग्रहण का आदेश**

(नियम 139(2) देखें)

जबकि मेरे द्वारा, धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण/उपधारा (2) के अधीन तलाशी, तारीख /...../.....पूर्वान्ह/अपरान्ह को निम्नलिखित परिसर/परिसरों में संचालित किया गया

<<परिसरों का ब्यौरे>>

जिसका स्थान/कारबार का स्थान/परिसर है/हैं

<<व्यक्ति का नाम>>

<< जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत हो >>

निम्नलिखित साक्षी/साक्षियों की उपस्थिति में :

1. << नाम और पता>>

2. << नाम और पता>>

और निरीक्षण/तलाशी के दौरान पाये गये लेखाबही, रजिस्टर, दस्तावेज/कागज और माल की संवीक्षा करना, मुझे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के लिए या से सुसंगत जब्ती योग्य माल और/या दस्तावेज और/या पुस्तकें और/या उपयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान (स्थानों) में गुप्त रखे गये हैं।

इसलिए मैं धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित माल/पुस्तक/दस्तावेज और वस्तुओं को एतत् द्वारा अभिग्रहित करता हूं :

अ) अभिग्रहीत माल के ब्यौरे :

क्र.सं.	माल का वर्णन	मात्रा या ईकाई	मेक/चिन्ह या मॉडल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

आ) अभिग्रहीत की गई पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं के ब्यौरे :

क्र. सं.	अभिग्रहीत की गई पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं का वर्णन	अभिग्रहीत की गई पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4

और ये माल और चीजें संभाल कर सुरक्षित रखने के लिए है ;

<<नाम और पता>>

इस निर्देश के साथ कि वह समनुदेशिती की पूर्व अनुमति के बिना माल या वस्तुओं, उसके भाग या उसके साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा।

स्थान:

अधिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक:

साक्षियों का हस्ताक्षर

क्र. सं.	नाम और पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

सेवा में:

<<नाम और पता>>

प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03

प्रतिषेध का आदेश

(नियम 139(4) देखें)

जबकि मेरे द्वारा धारा 67 की उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण/उप-धारा (2) के अधीन तलाशी, तारीख...../...../..... :पूर्वान्ह/अपरान्ह को निम्नलिखित परिसर/परिसरों में संचालित किया गया :

<<परिसरों के ब्यौरे>>

जिसका स्थान/कारबार का स्थान/परिसर है/हैं :

1. <<व्यक्ति का नाम>>

2. <<जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत हो>>

निम्नलिखित साक्षी/साक्षियों की उपस्थिति में :

1. <<नाम और पता>>

2. <<नाम और पता >>

और निरीक्षण/तलाशी के दौरान पाये गये लेखाबही, रजिस्टर, दस्तावेज/कागज और माल की संवीक्षा करना, मुझे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के लिए या से सुसंगत जब्ती योग्य माल/और या दस्तावेज और/या पुस्तकें और/या उपयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान (स्थानों) में गुप्त रखे गये हैं।

इसलिए मैं धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतत् द्वारा आदेश करता हूँ कि आप समनुदेशिती की पूर्व अनुमति के बिना माल, उसके भाग या उसके साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेंगे/करायेंगे :

क्र. सं.	माल का विवरण	मात्रा और ईकाई	मेक/चिन्ह और मॉडल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

स्थान:

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

साक्षियों के हस्ताक्षर

	नाम और पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

सेवा में:

<<नाम और पता>>

प्ररूप जीएसटी आईएनएस - 04

(नियम 140(1) देखें)

अभिगृहीत माल के निर्मुक्त के लिए बंधपत्र

मैं..... के तत्पश्चात् "बाध्यताधारी" कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है) और/..... (राज्यपाल) (इसमें आगे "राज्यपाल" कहा गया है) के लिए धारित और दृढ आबद्ध हूँ, रुपए

की राशि राष्ट्रपति/राज्यपाल हेतु संदत्त के लिए जिसे संदाय किया जाएगा। मैं संयुक्त रूप से और पृथकतः रूप से स्वयं आवद्ध हूँ और मेरे वारिस/निष्पादकों/विधिक प्रतिनिधित्व और इन वर्तमान द्वारा समनुदेशित किया गया है।

यतः धारा 67 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, आदेश सं. तारीख द्वारा अभिगृहीत किया गया है, रुपए के कर की रकम अन्तर्वलित करते हुए मूल्य..... के रुपए में है। अनुरोध पर माल मूल्य के बंधपत्र और प्रति रुपए की प्रतिभूति बंधपत्र के निष्पादन पर समुचित अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्मुक्त किए जाने के लिए अनुज्ञात की गई है जिसे नकदी/बैंक गारंटी, राष्ट्रपति/राज्यपाल के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है।

यतः मैं स्वयं के लिए अनंतिम रूप से निर्मुक्त उक्त माल उत्पन्न करने के लिए परिवचन पत्र करता हूँ और जब अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सम्यक् समुचित अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।

और यदि समुचित प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्ण प्रभारित मांग द्वारा सभी करें, व्याज, शास्ति, जुर्माना उक्त समुचित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में किया जाएगा, यह बाध्यता शून्य होगी ;

अन्यथा, इस दशा में किसी भाग के निष्पादन में भंग या असफल होने पर पूर्णतः बल होगा।

और राष्ट्रपति/राज्यपाल, इसके विकल्प में सभी हानियां और उपर्युक्त लिखित बंधपत्र या दोनों के अधीन इसके पृष्ठांकन द्वारा या प्रतिभूति निक्षेप की रकम से नुकसानी ठीक करने के लिए सक्षम होगा।

बाध्यताधारी (यों) द्वारा लिखित के समक्ष के समय हस्ताक्षरित किए गए हैं।

तारीख : बाध्यताधारी (यों) के हस्ताक्षर (रों)

स्थान :

साक्षी :-

(1) नाम और पता :

(2) नाम और पता :

तारीख :

स्थान :

आज तारीख (मास) वर्ष को (समुचित प्राधिकारी का पदनाम) राष्ट्रपति/राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से स्वीकार करता हूँ।

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप जीएसटी आईएनएस-05

विकारी या संकटमय के माल/वस्तुएं के निर्मुक्त का आदेश

(नियम 141(1) देखें)

निम्नलिखित परिसर (परिसरों) से को निम्नलिखित माल और/या चीजें अभिगृहीत किए गए थे :

«परिसर के ब्यौरे»

जो स्थान/कारबार के स्थान/ संबंधित परिसरों के लिए :

«व्यक्ति का नाम »

«जीएसटी आईएन रजिस्ट्रीकृत»

अभिग्रहीत माल के ब्यौरे

क्रम संख्या	माल का वर्णन	मात्रा या यूनिटें	मेक/चिन्ह या टिप्पण	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

और चूंकि ये माल, विकारी या परिसंकटमय प्रकृति के हैं और चूंकि रकम रुपए (शब्दों और अंकीय में रकम) रकम समतुल्य होते हुए के लिए –

ऐसे माल या चीजों की बाजार कीमत

कर, ब्याज और शास्ति की रकम जोकि या संदेय हो जाता है, संदत्त किया गया है। मैं तदनुसार उपरोक्त उल्लिखित माल अविल निर्मुक्त किया जाए।

स्थान:

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

सेवा में,

«नाम और पदनाम»

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 01

[नियम 142(1) देखें]

संदर्भ सं.

तारीख

सेवा में

.....जीएसटीआईएन/आईडी

नाम.....

पता

.....कर अवधि वित्तीय वर्ष.....अधिनियम

धारा/उपधारा जिसके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की गई है

एससीएन संदर्भ सं.

तारीख

कारण बताओ सूचना का संक्षिप्त विवरण

(क) मामले को संक्षिप्त तथ्य

(ख) आधार

(ग) कर और अन्य शोधय

(रुपए में रकम)

क्रम सं.	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	कर/उपकर	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
योग						

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 02

(नियम 142(1) देखें)

संदर्भ संख्या

तारीख

.....जीएसटीआईएन/आईडी

नाम.....

पता

एससीएन

तारीख

कथन/संदर्भ सं.

तारीख

धारा/उपधारा जिसके अधीन कथन जारी किया जा रहा है।

कथन का संक्षिप्त में

कथन संक्षेप में

- (क) मामले का संक्षिप्त तथ्य
 (ख) आधार
 (ग) कर और अन्य शोध

(रूप में रकम)

क्रम सं.	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	कर/उपकर	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
योग						

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 03

[नियम 142(2) और 142(3) देखें]

स्वैच्छिक रूप से किया गया संदाय की सूचना या किया गया कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के प्रति या कथन

1.	जीएसटीआईएन	
2.	नाम	
3.	संदाय के हेतुक	<< नीचे करें>> लेखा परीक्षा, अन्वेषण, स्वैच्छिक/एससीएन, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
4.	वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया गया है।	<< नीचे करें>>
5.	कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे, यदि इसके जारी के 30 दिन के भीतर संदाय किया गया है।	संदर्भ संख्या जारी की तारीख
6.	वित्तीय वर्ष	

7. ब्याज और शास्ति सहित किए गए संदाय के व्यौरे										
(रकम रुपए में)										
क्रम सं.	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पीओएस)	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि प्रयोज्य	योग	उपयोग किए गए खाते	विकलन प्रविष्टि सं०	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8. कारण, यदि कोई हो - <<पाठ खाना>>

9. सत्यापन -

मैं तदनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि यहां ऊपर नीचे दी गई सूचना सर्वोत्तम जानकारी सत्य और सही है और कोई बात छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर
नाम.....
पदनाम/प्रास्थिति
तारीख,.....

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 04

[नियम 142(2) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में,

_____ जीएसटीआईएन/आईडी

----- नाम

_____ पता

कर अवधि -----

वित्तीय वर्ष -----

एआरएन -

तारीख -

स्वेच्छाया किए गए संदाय की स्वीकृति की अभिस्वीकृति

उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन द्वारा आपके द्वारा किए गए संदाय की, संदत्त की गई रकम के विस्तार तक और उसमें कथित कारणों के लिए अभिस्वीकृति की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 05

[नियम 142(3) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में,

_____ जीएसटीआईएन/आईडी

----- नाम

_____ पता

कर अवधि -----

वित्तीय वर्ष -----

एससीएन

तारीख -

एआरएन -

तारीख -

कार्यवाहियों के निष्कर्ष की सूचना

यह उपरोक्त कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है। जैसा कि आपने.....धारा के उपबंधों के अनुसरण में लागू ब्याज और शास्ति के साथ सूचना में उल्लिखित कर की रकम और अन्य बकाया संदत्त कर दिया है, उक्त सूचना द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 06

[नियम 142(4) देखें]

कारण बताओ सूचना का प्रतिउत्तर

1. जीएसटीआईएन		
2. नाम		
3. कारण बताओ सूचना के ब्यौरे	संदर्भ सं.	जारी करने की तारीख
4. वित्तीय वर्ष		
5. प्रतिउत्तर		
<< टेक्स्ट बॉक्स >>		
6. अपलोड किया गया दस्तावेज		
<<दस्तावेजों की सूची >>		
7. वैयक्तिक सुनवाई के लिए विकल्प	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं

8. सत्यापन -

मैं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम _____

पदनाम/प्रास्थिति-----

तारीख -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 07

[नियम 142(5) देखें]

आदेश का सार

1. आदेश के व्यौरे -

(क) आदेश सं.

(ख) आदेश की तारीख

(ग) कर अवधि -

2. अन्तर्वर्तित विवाद्यक- \llcorner नीचे देखें \gg

वर्गीकरण, मूल्यांकन, कर की दर, व्यापारावर्त का अधिक्रमण, आईटीसी दावे का आधिक्य, मुक्त किए गए प्रतिदाय का आधिक्य, पूर्ति का स्थान, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

3. मालों/सेवाओं का विवरण --

क्र. सं.	एचएसएन	विवरण

4. मांग के व्यौरे

(रकम रुपयों में)

क्र.सं.	कर की दर	व्यापारावर्त	पूर्ति का स्थान	कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

5. जमा की गई रकम

क्र.सं.	कर की अवधि	कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति—

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 08

[नियम 142(7) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख :

आदेश का परिशोधन

उद्देशिका - << मानक >> (केवल आदेश के लिए लागू)

मूल आदेश की विशिष्टियां			
कर की अवधि, यदि कोई हो			
धारा, जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है			
आदेश सं.		जारी करने की तारीख	
उपबंध निर्धारण आदेश सं., यदि कोई हो		आदेश की तारीख	
एआरएन, यदि परिशोधन के लिए लागू हो		एआरएन की तारीख	

.....उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश के परिशोधन के लिए आपका आवेदन संतोषप्रद पाया गया है;

.....यह मेरे ज्ञान में आया है कि उपरोक्त आदेश के परिशोधन की आवश्यकता है;

परिशोधन का कारण -

<< पाठ बाक्स >>

मांग के ब्यौरे, परिशोधन के पश्चात्, यदि कोई हो

(रकम रुपयों में.)

क्र.स.	कर की दर	व्यापार आवर्त	प्रदाय का स्थान	कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

उपरोक्त आदेश, धारा 161 के अधीन निर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग में नीचे यथा उल्लिखित परिशोधित किया जाता है:

<< पाठ >>

सेवा में,

_____ (जीएसटीआईएन/आईडी)

-----नाम

_____ (पता)

प्रति -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 09

[नियम 143 देखें]

सेवामें,

व्यतिक्रमी के ब्यौरे -

जीएसटीआईएन -

नाम -

मांग आदेश सं.:

तारीख:

वसूली की संदर्भ सं.:

अवधि:

तारीख:

विनिर्दिष्ट अधिकारी के माध्यम से धारा 79 के अधीन वसूली के लिए आदेश

जहां कर, उपकर, ब्याज और शास्ति के लेखे <<----->> रुपये की राशि <<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सेस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपरोक्त व्यक्ति, जो ऐसी रकम का संदाय करने में विफल हो चुका है, द्वारा संदेय है। बकाया के ब्यौरे नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं:

(रकम रुपयों में)

कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
एकीकृत कर					
केन्द्रीय कर					
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
उपकर					
कुल					

<< टिप्पणियां >>

आपसे, <<एसजीएसटी>> एसीटीटीओ की धारा 79 के उपबंधों के अधीन उपरोक्त लिखित << व्यक्ति >> से बकाया रकम वसूल करना अपेक्षित है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 10

(नियम 144(2) देखें)

अधिनियम की धारा 79 (1)(ख) के अधीन माल के नीलामी की सूचना

मांग आदेश संख्या:

तारीख:

अवधि:

मेरे द्वारा ---- रुपए और उस पर ब्याज की वसूली के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुर्क किए गए या करस्थम किए गए माल के विक्रय के लिए आदेश किया गया है और जो धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में वसूली प्रक्रिया पर उपगत व्यय ग्राह्य है।

विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा और माल अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाट में विक्रय के लिए रखा जाएगा। विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार, शीर्षक और हितों के लिए किया जाएगा और उक्त संपत्तियों के लिए संलग्न दायित्व और दावे, जिस प्रकार उन्हें सुनिश्चित किया गया है, प्रत्येक लाट के सामने अनुसूची में उन्हें विनिर्दिष्ट किया गया है।

नीलामी..... पर प्रातः/सांय को आयोजित की जाएगी। नीलामी के तारीख से पूर्व देय सम्पूर्ण रकम के संदत्त हो जाने पर विक्रय रोक दिया जाएगा।

प्रत्येक लाट की कीमत विक्रय के समय या समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशों के अनुसार संदत्त की जाएगी और संदाय के व्यतिक्रम में माल को पुनः नीलामी और पुनः विक्रय के लिए रखा जाएगा।

अनुसूची

क्र.सं.	माल का विवरण	मात्रा
1	2	3

हस्ताक्षर.....

नाम

पद नाम

स्थान:

तारीख:

अनुसूची (शेयर)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मात्रा	कीमत
1	2	3	4

<<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सीईएसएस>> अधिनियम की धारा 79 (1) (ख) (घ) के उपबंधों औरउसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में रुपए की वसूली के लिए माल की लोक नीलामी मेंपर के लिए विक्रय किया गया है और उक्त (क्रेता) ने विक्रय के समय उक्त माल के क्रेता होने के घोषणा कर दी है। उक्त माल की विक्रय कीमत को प्राप्त हुई थी। विक्रय को सुनिश्चित किया गया था।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर.....

नाम

पद नाम

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 13

(नियम 145(1) देखें)

धारा 79(1)(ग) के अधीन तीसरे व्यक्ति के लिए सूचना

सेवा में,

.....

व्यतिक्रमी की विशिष्टियां

जीएसटीआईएन.....

नाम.....

मांग आदेश संख्या:

तारीख:

वसूली की संदर्भ संख्या:

तारीख :

अवधि :

कर, उपकर, ब्याज और शास्ति की रकम पर <<.....>> रुपए की रकम <जीएसटीआईएन >> धारण करने वाले <<कराधेय व्यक्ति का नाम>> जो ऐसी रकम का संदाय करने में विफल हो गया है, के द्वारा <<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सीईएसएस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय योग्य है; और/या

यह प्रेक्षित है कि आपसे उक्त कराधेय व्यक्ति के लिए.....रुपए की रकम देय है या देय हो सकती है; या

यह प्रेक्षित है कि उक्त व्यक्ति के लिए या उस पररुपए की रकम आपके पास है या आपके पास होने की संभावना है।

आपको अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) (i) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुपालन में देय के होने या हो सकने वाले धन पर यासरकार के लिएरुपए की रकम का संदाय करने के लिए निदेश दिया जाता है।

कृपया नोट करे कि इस सूचना के अनुपालन में आपके द्वारा कोई संदाय उक्त कराधेय व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन किए जाने के प्रति उक्त अधिनियम की धारा 79 के अधीन समझा जाएगा और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-14 में सरकार से प्रमाण पत्र आपके दायित्व का प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार के लिए ऐसे व्यक्ति के प्रति उत्तम और पर्याप्त रूप से निर्वहन किया जाएगा।

कृपया यह भी नोट करे कि यदि इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात उक्त कराधेय व्यक्ति के लिए किसी दायित्व का आपने निर्वहन किया है, आप कर, उपकर ब्याज और शास्ति जो भी कम हो, के लिए कराधेय व्यक्ति के दायित्व के विस्तार के लिए या निर्वहन किए जाने वाले दायित्व के विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 79 के अधीन राज्य/केन्द्रीय सरकार के लिए व्यक्ति रूप से दायी होंगे।

कृपया नोट करे कि इस सूचना के अनुसरण में संदाय करने में आप विफल होते हैं, आपको इस सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम के परिणामस्वरूप पालन किया जाएगा।

हस्ताक्षर.....

नाम

पद नाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 14

(नियम 145(2) देखें)

तीसरे व्यक्ति के लिए संदाय का प्रमाण पत्र

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-13 में आपको जारी सूचना के प्रतिउत्तर में बोली लगाने वाली निर्देश संख्या..... तारीख..... को आपको नीचे दिए गए व्यतिक्रमी के नाम के लिएरूप का संदाय करने के लिए आपको दायित्व का निर्वहन करना:

जीएसटीआईएन---

नाम--

मांग आदेश संख्या:

तारीख:

वसूली की संदर्भ संख्या:

तारीख :

अवधि

यह प्रमाण पत्र आपके दायित्व का प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार के प्रति ऊपर उल्लिखित व्यतिक्रमी हेतु पर्याप्त रूप निर्वहन किया जाएगा।

हस्ताक्षर.....

नाम

पद नाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 15

(नियम 146 देखें)

डिक्री के लिए निष्पादन का अनुरोध करने के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष आवेदन

सेवा में,

.....न्यायालय का मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश

.....

अनुसूची (शेयर)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	परिमाण
1	2	3

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 17

{नियम 147(4) देखें}

धारा 79(1) (घ) के अधीन स्थावर/जंगम सम्पत्ति की नीलामी हेतु सूचना।

मांग आदेश सं०.

तारीख :

वसूली की संदर्भ सं०

तारीख :

अवधि :

धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में -----रु० और उस पर ब्याज तथा वसूली प्रक्रिया में उपगत ग्राह्य व्यय की वसूली के लिए नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कुर्क किये गये या करस्थम किये गये मालों की विक्रय हेतु मेरे द्वारा एक आदेश किया गया है।

विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जायेगा और माल को अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाट में विक्रय के लिए रखा जायेगा। विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार, अभिनाम और हितों का होगा और उक्त संपत्ति से उपाबद्ध दायित्व और दावें, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया गया है, वे होंगे जिन्हें प्रत्येक लाट के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

मुल्यी किये जाने के किसी आदेश की अनुपस्थिति में नीलामी----- पूर्वाहन/अपराहन (बजे)----- (तारीख) को होगी। सूचना के जारी होने से पहले जहाँ बकाया संपूर्ण रकम संदत्त कर दी गई है कि दशा में, नीलामी रद्द कर दी जायेगी।

प्रत्येक लाट की कीमत समूचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशों के अनुसार विक्रय के समय संदत्त की जायेगी और संदाय के व्यतिक्रम में, माल को दोबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा तथा पुनः विक्रय किया जायेगा।

अनुसूची (जंगम)

क्र.सं.	मालों का वर्णन	परिमाण
1	2	3

अनूसूची (स्थावर)

भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.	परिसर/भवन का नाम	सड़क/मार्ग	परिक्षेत्र/ग्राम	जिला	राज्य	दिन कोड	अक्षांश (वैकल्पिक)	देशांतर (वैकल्पिक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनूसूची (शेयर)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	परिमाण
1	2	3

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 18

{नियम 155 देखें}

सेवा में

जिला कलक्टर का नाम और पता

.....

मांग आदेश सं०.

तारीख :

वसूली की संदर्भ सं०

तारीख :

अवधि :

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अधीन नीलामी प्रमाण पत्र ।

मैं.....प्रमाणित करता हूँ कि अधिनियम <<एसजीएलटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/उपकर>> के अधीन जीएसटीआईएन.....धारित मैसर्स.....से.....रु० की ऐसी राशि की मांग की गई है जो उसके द्वारा संदेय है, लेकिन संदत्त नहीं की गई है और अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति से उक्त व्यतिक्रमी से वसूल नहीं की जा सकती है ।

<< मांग विवरण >>

उक्त जीएसटीआईएन धारक आपकी अधिकारिता में संपत्ति का स्वामित्व रखता है/निवास करता है/ कारबार करता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं-

<<वर्णन >>

आप से निवेदन है कि उक्त व्यतिक्रमी से.....रूपये की राशि को इस प्रकार से वसूल करने जैसे कि यह भूमि राजस्व का कोई बकाया हो के लिए शीघ्र कदम उठाये।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 19

[नियम 156 देखें]

सेवा में,

मजिस्ट्रेट

<<न्यायालय का नाम और पता >>

मांग आदेश सं०.

तारीख :

वसूली की संदर्भ सं०

तारीख :

अवधि :

जुमानें के रूप में वसूली के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन।

.....रु० की कोई राशि अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर ब्याज और शास्ति के कारण <<जीएसटीआईएन>> धारित <<कराधेय व्यक्ति का नाम>> से वसूली योग्य है। आपसे निवेदन है कि कृपया अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसरण में इस रकम को इस प्रकार से वसूल करें जैसे कि यह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना हो।

रकम का विवरण				
वर्णन	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर/उपकर				
ब्याज				
शास्ति				
फीस				
अन्य				
योग				

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 20

{नियम 158(1) देखें}

आस्थगित संदाय/किशतों में संदाय के लिए आवेदन

1. कराधेय व्यक्ति का नाम _____
2. जीएसटीआईएन _____
3. अवधि _____

अधिनियम की धारा 80 के अनुसरण में, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे कर/अन्य बकायों के संदाय के लिए.....तक के समय का विस्तार अनुज्ञात करें या मुझे ऐसे कर/अन्य बकायों को नीचे दिये गये कारणों से.....किशतों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात करें--

मांग आईडी				
वर्णन	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर/उपकर				
ब्याज				
शास्ति				
फीस				
अन्य				
योग				

कारण : -

अपलोड किये गये

सत्यापन

मैं प्रतिज्ञान करता हूँ/घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास से सत्य और सही है तथा इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्रधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर _____

नाम _____

स्थान _____

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-21

[नियम 158(2) देखें]

संदर्भ सं० <<---->>

<< तारीख >>

सेवा में,

जीएसटीआईएन -----

नाम -----

पता -----

मांग आदेश सं०

तारीख:

वसूली का संदर्भ संख्या :

तारीख:

अवधि -

आवेदन संदर्भ सं० (एआरएन) -

तारीख:

आस्थिति संदाय/किस्तों में संदाय के लिए आवेदन के स्वीकार/अस्वीकार के लिए आदेश

यह, अधिनियम की धारा 80 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन के संदर्भ में है आस्थिति संदाय/कर के संदाय/ किस्तों में अन्य देय के लिए आपके आवेदन का परीक्षण कर लिया गया है और इस संबंध में, आपको तारीख.....द्वारा कर और अन्य देय संदाय करने की अनुज्ञा दी जाती है या इस संबंध में आपको.....रुपए.....मासिक किस्तों में कर और अन्य देय संदाय करने की अनुज्ञा दी जाती है।

या

यह, अधिनियम की धारा 80 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन के संदर्भ में है। आस्थिति संदाय/ कर के संदाय/ किस्तों में अन्य देय के लिए आपके आवेदन का परीक्षण कर लिया गया है और इसको निम्नलिखित कारणों के लिए आपके अनुरोध को मान लेना बिलकुल भी संभव नहीं है ;

अस्वीकार के लिए कारण

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22

[नियम 159(1) देखें]

संदर्भ सं०:

तारीख:

सेवा में,

----- नाम

----- पता

(बैंक/ डाक खाना/वित्तीय संस्थान/अचल संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण)

धारा 83 के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की

आपको यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स (नाम) कारबार का मूल स्थान ----- (पता) रजिस्ट्रीकरण संख्या के रूप में----- (जीएसटीआईएन/आई), पी.ए.एन.----- <<एसजीएसटी/सीजीएसटी>>

अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है। उक्त व्यक्ति से कर या कोई अन्य रकम का अवधारण उक्त अधिनियम की धारा << --->> के अधीन पूर्वोक्त कराधेय व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई है। विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मेरी नोटिस में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का -

<<बचत/ चालू / एफ डी/ आर डी / निक्षेप >>खाता आपके<< बैंक/डाक खाता/ वित्तीय संस्थान>> में खाता संख्या << खाता सं०>>;

या

<< संपत्ति आई डी और अवस्थान>> पर संपत्ति स्थिति है।

राजस्व के हितों का संरक्षण करने के लिए और अधिनियम की धारा 83 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं -----
----- (नाम), ----- (पदनाम), पूर्वोक्त खाता/ संपत्ति की अनंतिम कुर्की करता हूं।

कोई विकलन इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना उसी पेन पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा संचालित उक्त खाता या कोई अन्य खाता से अनुज्ञात नहीं करने दिया जाएगा।

या

उपरोक्त उल्लिखित संपत्ति इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना निपारण करने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति :-

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 23

[नियम 159(3), 159(5) और 159(6) देखे]

संदर्भ संख्या :-

तारीख:

सेवा में,

----- नाम

----- पता

(बैंक/ डाक खाता/वित्तीय संस्थान/अचल संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण)

आदेश संदर्भ संख्या :-

तारीख -

धारा 83 के अधीन अनंतिम रूप से कुर्की संपत्ति तारीख बैंक खाता का प्रत्यावर्तन

कृपया, व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियों में राजस्व के हित की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुर्की <<बचत / चालू / एफ डी/आर डी>> खाता संख्या आपके << बैंक /डाक खाता /वित्तीय संस्थान>> में खाता संख्या <<----->>, की कुर्की का संदर्भ ले। अब, ऐसी कोई कार्यवाहियां व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के विरुद्ध लंबित नहीं हैं जिसका उक्त खाता की कुर्की का वारंट था। अतः इसलिए, उक्त खाता अब संबद्ध व्यक्ति का प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।

या

कृपया, व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियों में राजस्व के हित की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुर्की << आई डी /अवस्थान>> संपत्ति की कुर्की का संदर्भ ले। अब, ऐसी कोई कार्यवाहियां व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हैं जिसका उक्त संपत्ति की कुर्की का वारंट था। अतः इसलिए उक्त संपत्ति अब संबद्ध व्यक्ति का प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति :--

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 24

[नियम 160 देखे]

सेवा में,

समापक/प्रापक,

कराधेय व्यक्ति का नाम

जीएसटीआईएन:

मांग आदेश संख्या:

तारीख:

अवधि:

रकम की वसूली के लिए समापक को सूचित करना

यह आपके पत्र <<सूचना संख्या और तारीख>> के संदर्भ में, <<कम्पनी का नाम>> <<जीएसटीआईएन >> रखने वाले के लिए समापक के रूप में आपकी नियुक्ति की सूचना दी जा रही है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त कम्पनी राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित राशि देनदार/संभावनीय देनदार है;

चालू / प्रत्याशित मांग

(रुपयों में राशि)

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य देना	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय कर					
राज्य / यूटी कर					
एकीकृत कर					
उपकर					

अधिनियम की धारा 88 के उपबंधों के अनुपालन में आपको यह निदेशित किया जाता है कि कम्पनी के अंतिम परिसमापन से पहले चालू और प्रत्याशित दायित्वों के उन्मोचन के लिए प्रयात्प उपबंध बनाए।

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 25

[नियम 161 देखे]

संदर्भ सं० << --- >>

<< तारीख >>

सेवा में,

जीएसटीआईएन -----

नाम -----

पता -----

मांग आदेश सं०:

तारीख:

वसूली का संदर्भ संख्या :

तारीख:

अवधि:

अपील या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही में संदर्भ संख्या.....

तारीख:.....

वसूली कार्यवाहियों का चालू रहना

.....रुपए के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट वसूली संदर्भ संख्या द्वारा आपके विरुद्ध वसूली कार्यवाहियों को शुरू करने के संदर्भ में है।

अपील /पुनरीक्षण प्राधिकारी/ न्यायालय << प्राधिकरण का नाम / न्यायालय>>आदेश सं०.....तारीख.....द्वारा उपरोक्त उल्लिखित मांग आदेश सं० ----- तारीख----- द्वारा समावेश देय को बढ़ा देगा / कम कर देगा और अब देयरुपए रह गई है। अपील या पुनरीक्षण के निपटान से तत्काल पहले खड़ी उन वसूली कार्यवाहियों पर प्रक्रम से बढ़ी हुई वसूली/कम हुई वसूली की-----रुपए की राशि निरन्तर बनी हुई है। अपील/पुनरीक्षण प्रभाव देने के पश्चात् मांग की पुनरीक्षित रकम नीचे दी गई है :-

वित्तीय वर्ष

(रकम रुपए में)

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य देय	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय कर					
राज्य/यूटी कर					
एकीकृत कर					
उपकर					

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी सीपीडी - 01

[नियम 162(1) देखें]

शमनीय अपराध के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन / अस्थायी आईडी	
2.	आवेदक का नाम	

3.	पता	
4.	अधिनियम के उपबंधों को उल्लंघन जिसके लिए अभियोग संस्थित या अन्ध्यात किया जाता है।	
5.	न्यायनिर्णय आदेश/नोटिस का ब्यौरा	
	संदर्भ संख्या	
	तारीख	
	कर	
	ब्याज	
	शास्ति	
	जुर्माना, यदि कोई हो	
6.	मामले का संक्षिप्त तथ्य और भारित अपराध (अपराधों की विशिष्टियां)	
7.	क्या यह अधिनियम के अधीन पहला अपराध हैं	
8.	यदि सं० 7 का उत्तर नकारात्मक है तो पिछले मामले का ब्यौरा	
9.	क्या उसी या कोई अन्य अपराध के लिए कोई कार्यवाहियां किसी अन्य विधि के अधीन अन्ध्यात है।	
10.	यदि सं० 9 का उत्तर सकारात्मक है तो उसका ब्यौरा	

घोषणा

- (1) मैं, आयुक्त द्वारा यथानियत प्रशमन रकम संदाय करूंगा।
- (2) मैं, समझता हूँ कि मैं अधिकार की दृष्टि से दावा नहीं करूंगा अधिनियम के अधीन मेरे द्वारा कारित उस अपराध का शमन किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

प्ररूप जीएसटी सीपीडी-02

(नियम 162(3) देखें-)

संदर्भ सं०:

तारीख:

सेवा में,

जीएसटीआईएन/आईडी-----

नाम-----

पता -----

एआरएन -----

तारीख -

शमनीय अपराध के अस्वीकार / मोक के लिए आदेश

यह उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन के संदर्भ में है। आपका आवेदन का विभाग में परीक्षण कर लिया गया है और निष्कर्ष नीचे अभिलेख किया गया है :-

<<पाठ >>

मैं, सन्तुष्ट हूँ कि आप स्तंभ (3) में दारिजित प्रशमन रकम संदाय पर नीचे दी गई तालिका के स्तर 2 में कथित अपराधों के संबंध में शमनीय अपराध को अनुज्ञात करने की अपेक्षाओं को पूरा करते हो।

क्रम सं.	अपराध	प्रशमन रकम (रुपए)
(1)	(2)	(3)

टिप्पण: यदि कराधेय व्यक्ति द्वारा किया गया उपधारा स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट एक से अधिक प्रवर्ग में आता है तो शमनीय रकम स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट ऐसी रकम होगी जो ऐसे प्रवर्ग के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम है, जिनमें शमन किए जाने के लिए ईप्सीत अपराधों को वर्गीकृत किया जा सकता है।

आपको निर्देशित किया जाता है तारीख ----- द्वारा पूर्वोक्त शमनीय रकम संदाय कर दे और शमनीय रकम के संदाय पर, आप पूर्वोक्त तालिका के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अभियोजन से उन्मुक्त कर दिया जाएगा।

या

 आपको आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस. एल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 को सा.का.नि.सं. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 10/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2017

No. 15/2017 – Central Tax

G.S.R. 819(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.
2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017,
- (i) in rule 44,
 - (a) in sub-rule (2), for the words “integrated tax and central tax”, the words “central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax” shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), after the words “integrated tax”, for the brackets and figure “(2)”, the brackets and figure “(3)” shall be substituted;
 - (c) in sub-rule (6), for the words and letters “IGST and CGST”, the words “central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax” shall be substituted;
 - (ii) in rule 96,
 - (a) in sub-rule(1), in clause (b), and
 - (b) in sub-rule (3),

after the words, figures and letters “**FORM GSTR 3**”, the words and figures “or **FORM GSTR-3B**, as the case may be;” shall be inserted;
 - (iii) after rule 96, the following rule shall be inserted, namely:-

“ 96A. Refund of integrated tax paid on export of goods or services under bond or Letter of Undertaking.- (1) Any registered person availing the option to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall furnish, prior to export, a bond or a Letter of Undertaking in **FORM GST RFD-11** to the jurisdictional Commissioner, binding himself to pay the tax due along with the interest specified under sub-section (1) of section 50 within a period of —

 - (a) fifteen days after the expiry of three months from the date of issue of the invoice for export, if the goods are not exported out of India; or
 - (b) fifteen days after the expiry of one year, or such further period as may be allowed by the Commissioner, from the date of issue of the invoice for export, if the payment of such services is not received by the exporter in convertible foreign exchange.

(2) The details of the export invoices contained in **FORM GSTR-1** furnished on the common portal shall be electronically transmitted to the system designated by Customs and a confirmation that the goods covered by the said invoices have been exported out of India shall be electronically transmitted to the common portal from the said system.

(3) Where the goods are not exported within the time specified in sub-rule (1) and the registered person fails to pay the amount mentioned in the said sub-rule, the export as allowed under bond or Letter of Undertaking shall be withdrawn forthwith and the said amount shall be recovered from the registered person in accordance with the provisions of section 79.

(4) The export as allowed under bond or Letter of Undertaking withdrawn in terms of sub-rule (3) shall be restored immediately when the registered person pays the amount due.

(5) The Board, by way of notification, may specify the conditions and safeguards under which a Letter of Undertaking may be furnished in place of a bond.

(6) The provisions of sub rule (1) shall apply, *mutatis mutandis*, in respect of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit without payment of integrated tax.”;

- (iv) in rule 117, in sub-rule (1), after the words “the amount of input tax credit”, the words “of eligible duties and taxes, as defined in Explanation 2 to section 140,” shall be inserted;
- (v) in rule 119, in the heading, for the word “agent”, the word “job-worker” shall be substituted;
- (vi) after rule 138, the following shall be inserted, namely:-

“Chapter – XVII

Inspection, Search and Seizure

139. Inspection, search and seizure.- (1) Where the proper officer not below the rank of a Joint Commissioner has reasons to believe that a place of business or any other place is to be visited for the purposes of inspection or search or, as the case may be, seizure in accordance with the provisions of section 67, he shall issue an authorisation in **FORM GST INS-01** authorising any other officer subordinate to him to conduct the inspection or search or, as the case may be, seizure of goods, documents, books or things liable to confiscation.

(2) Where any goods, documents, books or things are liable for seizure under sub-section (2) of section 67, the proper officer or an authorised officer shall make an order of seizure in **FORM GST INS-02**.

(3) The proper officer or an authorised officer may entrust upon the the owner or the custodian of goods, from whose custody such goods or things are seized, the custody of such goods or things for safe upkeep and the said person shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods or things except with the previous permission of such officer.

(4) Where it is not practicable to seize any such goods, the proper officer or the authorised officer may serve on the owner or the custodian of the goods, an order of prohibition in **FORM GST INS-03** that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods except with the previous permission of such officer.

(5) The officer seizing the goods, documents, books or things shall prepare an inventory of such goods or documents or books or things containing, *inter alia*, description, quantity or unit, make, mark or model, where applicable, and get it signed by the person from whom such goods or documents or books or things are seized.

140. Bond and security for release of seized goods.- (1) The seized goods may be released on a provisional basis upon execution of a bond for the value of the goods in **FORM GST INS-04** and furnishing of a security in the form of a bank guarantee equivalent to the amount of applicable tax, interest and penalty payable.

Explanation.- For the purposes of the rules under the provisions of this Chapter, the “applicable tax” shall include central tax and State tax or central tax and the Union territory tax, as the case may be and the cess, if any, payable under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017).

(2) In case the person to whom the goods were released provisionally fails to produce the goods at the appointed date and place indicated by the proper officer, the security shall be encashed and adjusted against the tax, interest and penalty and fine, if any, payable in respect of such goods.

141. Procedure in respect of seized goods.- (1) Where the goods or things seized are of perishable or hazardous nature, and if the taxable person pays an amount equivalent to the market price of such goods or things or the amount of tax, interest and penalty that is or may become payable by the taxable person, whichever is lower, such goods or, as the case may be, things shall be released forthwith, by an order in **FORM GST INS-05**, on proof of payment.

(2) Where the taxable person fails to pay the amount referred to in sub-rule (1) in respect of the said goods or things, the Commissioner may dispose of such goods or things and the amount realized thereby shall be adjusted against the tax, interest, penalty, or any other amount payable in respect of such goods or things.

CHAPTER - XVIII

DEMANDS AND RECOVERY

142. Notice and order for demand of amounts payable under the Act.- (1) The proper officer shall serve, along with the

(a) notice under sub-section (1) of section 73 or sub-section (1) of section 74 or sub-section (2) of section 76, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-01**,

(b) statement under sub-section (3) of section 73 or sub-section (3) of section 74, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-02**,

specifying therein the details of the amount payable.

(2) Where, before the service of notice or statement, the person chargeable with tax makes payment of the tax and interest in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 74, he shall inform the proper officer of such

payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an acknowledgement, accepting the payment made by the said person in **FORM GST DRC-04**.

(3) Where the person chargeable with tax makes payment of tax and interest under sub-section (8) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty under sub-section (8) of section 74 within thirty days of the service of a notice under sub-rule (1), he shall intimate the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an order in **FORM GST DRC-05** concluding the proceedings in respect of the said notice.

(4) The representation referred to in sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 shall be in **FORM GST DRC-06**.

(5) A summary of the order issued under sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**, specifying therein the amount of tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax.

(6) The order referred to in sub-rule (5) shall be treated as the notice for recovery.

(7) Any rectification of the order, in accordance with the provisions of section 161, shall be made by the proper officer in **FORM GST DRC-08**.

143. Recovery by deduction from any money owed.- Where any amount payable by a person (hereafter referred to in this rule as “the defaulter”) to the Government under any of the provisions of the Act or the rules made thereunder is not paid, the proper officer may require, in **FORM GST DRC-09**, a specified officer to deduct the amount from any money owing to such defaulter in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 79.

Explanation.- For the purposes of this rule, “specified officer” shall mean any officer of the Central Government or a State Government or the Government of a Union territory or a local authority, or of a Board or Corporation or a company owned or controlled, wholly or partly, by the Central Government or a State Government or the Government of a Union territory or a local authority.

144. Recovery by sale of goods under the control of proper officer.- (1) Where any amount due from a defaulter is to be recovered by selling goods belonging to such person in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 79, the proper officer shall prepare an inventory and estimate the market value of such goods and proceed to sell only so much of the goods as may be required for recovering the amount payable along with the administrative expenditure incurred on the recovery process.

(2) The said goods shall be sold through a process of auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in **FORM GST DRC-10** clearly indicating the goods to be sold and the purpose of sale.

(3) The last day for submission of bid or the date of auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (2):

Provided that where the goods are of perishable or hazardous nature or where the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value, the proper officer may sell them forthwith.

(4) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.

(5) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in **FORM GST DRC-11** requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of auction. On payment of the full bid amount, the proper officer shall transfer the possession of the said goods to the successful bidder and issue a certificate in **FORM GST DRC-12**.

(6) Where the defaulter pays the amount under recovery, including any expenses incurred on the process of recovery, before the issue of the notice under sub-rule (2), the proper officer shall cancel the process of auction and release the goods.

(7) The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.

145. Recovery from a third person.- (1) The proper officer may serve upon a person referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 79 (hereafter referred to in this rule as “the third person”), a notice in **FORM GST DRC-13** directing him to deposit the amount specified in the notice.

(2) Where the third person makes the payment of the amount specified in the notice issued under sub-rule (1), the proper officer shall issue a certificate in **FORM GST DRC-14** to the third person clearly indicating the details of the liability so discharged.

146. Recovery through execution of a decree, etc.- Where any amount is payable to the defaulter in the execution of a decree of a civil court for the payment of money or for sale in the enforcement of a mortgage or charge, the proper officer shall send a request in **FORM GST DRC-15** to the said court and the court shall, subject to the

provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), execute the attached decree, and credit the net proceeds for settlement of the amount recoverable.

147. Recovery by sale of movable or immovable property.- (1) The proper officer shall prepare a list of movable and immovable property belonging to the defaulter, estimate their value as per the prevalent market price and issue an order of attachment or distraint and a notice for sale in **FORM GST DRC- 16** prohibiting any transaction with regard to such movable and immovable property as may be required for the recovery of the amount due:

Provided that the attachment of any property in a debt not secured by a negotiable instrument, a share in a corporation, or other movable property not in the possession of the defaulter except for property deposited in, or in the custody of any Court, shall be attached in the manner provided in rule 151.

(2) The proper officer shall send a copy of the order of attachment or distraint to the concerned Revenue Authority or Transport Authority or any such Authority to place encumbrance on the said movable or immovable property, which shall be removed only on the written instructions from the proper officer to that effect.

(3) Where the property subject to the attachment or distraint under sub-rule (1) is-

(a) an immovable property, the order of attachment or distraint shall be affixed on the said property and shall remain affixed till the confirmation of sale;

(b) a movable property, the proper officer shall seize the said property in accordance with the provisions of chapter XIV of the Act and the custody of the said property shall either be taken by the proper officer himself or an officer authorised by him.

(4) The property attached or distrained shall be sold through auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in **FORM GST DRC- 17** clearly indicating the property to be sold and the purpose of sale.

(5) Notwithstanding anything contained in the provision of this Chapter, where the property to be sold is a negotiable instrument or a share in a corporation, the proper officer may, instead of selling it by public auction, sell such instrument or a share through a broker and the said broker shall deposit to the Government so much of the proceeds of such sale, reduced by his commission, as may be required for the discharge of the amount under recovery and pay the amount remaining, if any, to the owner of such instrument or a share.

(6) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders or, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.

(7) The last day for the submission of the bid or the date of the auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (4):

Provided that where the goods are of perishable or hazardous nature or where the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value, the proper officer may sell them forthwith.

(8) Where any claim is preferred or any objection is raised with regard to the attachment or distraint of any property on the ground that such property is not liable to such attachment or distraint, the proper officer shall investigate the claim or objection and may postpone the sale for such time as he may deem fit.

(9) The person making the claim or objection must adduce evidence to show that on the date of the order issued under sub-rule (1) he had some interest in, or was in possession of, the property in question under attachment or distraint.

(10) Where, upon investigation, the proper officer is satisfied that, for the reason stated in the claim or objection, such property was not, on the said date, in the possession of the defaulter or of any other person on his behalf or that, being in the possession of the defaulter on the said date, it was in his possession, not on his own account or as his own property, but on account of or in trust for any other person, or partly on his own account and partly on account of some other person, the proper officer shall make an order releasing the property, wholly or to such extent as he thinks fit, from attachment or distraint.

(11) Where the proper officer is satisfied that the property was, on the said date, in the possession of the defaulter as his own property and not on account of any other person, or was in the possession of some other person in trust for him, or in the occupancy of a tenant or other person paying rent to him, the proper officer shall reject the claim and proceed with the process of sale through auction.

(12) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in **FORM GST DRC-11** requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of such notice and after the said payment is made, he shall issue a certificate in **FORM GST DRC-12** specifying the details of the property, date of transfer, the details of the bidder and the amount paid and upon issuance of such certificate, the rights, title and interest in the property shall be deemed to be transferred to such bidder:

Provided that where the highest bid is made by more than one person and one of them is a co-owner of the property, he shall be deemed to be the successful bidder.

(13) Any amount, including stamp duty, tax or fee payable in respect of the transfer of the property specified in sub-rule (12), shall be paid to the Government by the person to whom the title in such property is transferred.

(14) Where the defaulter pays the amount under recovery, including any expenses incurred on the process of recovery, before the issue of the notice under sub-rule (4), the proper officer shall cancel the process of auction and release the goods.

(15) The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.

148. Prohibition against bidding or purchase by officer.- No officer or other person having any duty to perform in connection with any sale under the provisions of this Chapter shall, either directly or indirectly, bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.

149. Prohibition against sale on holidays.- No sale under the rules under the provision of this chapter shall take place on a Sunday or other general holidays recognized by the Government or on any day which has been notified by the Government to be a holiday for the area in which the sale is to take place.

150. Assistance by police.- The proper officer may seek such assistance from the officer-in-charge of the jurisdictional police station as may be necessary in the discharge of his duties and the said officer-in-charge shall depute sufficient number of police officers for providing such assistance.

151. Attachment of debts and shares, etc.- (1) A debt not secured by a negotiable instrument, a share in a corporation, or other movable property not in the possession of the defaulter except for property deposited in, or in the custody of any court shall be attached by a written order in **FORM GST DRC-16** prohibiting.-

(a) in the case of a debt, the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment thereof until the receipt of a further order from the proper officer;

(b) in the case of a share, the person in whose name the share may be standing from transferring the same or receiving any dividend thereon;

(c) in the case of any other movable property, the person in possession of the same from giving it to the defaulter.

(2) A copy of such order shall be affixed on some conspicuous part of the office of the proper officer, and another copy shall be sent, in the case of debt, to the debtor, and in the case of shares, to the registered address of the corporation and in the case of other movable property, to the person in possession of the same.

(3) A debtor, prohibited under clause (a) of sub-rule (1), may pay the amount of his debt to the proper officer, and such payment shall be deemed as paid to the defaulter.

152. Attachment of property in custody of courts or Public Officer.- Where the property to be attached is in the custody of any court or Public Officer, the proper officer shall send the order of attachment to such court or officer, requesting that such property, and any interest or dividend becoming payable thereon, may be held till the recovery of the amount payable.

153. Attachment of interest in partnership.- (1) Where the property to be attached consists of an interest of the defaulter, being a partner, in the partnership property, the proper officer may make an order charging the share of such partner in the partnership property and profits with payment of the amount due under the certificate, and may, by the same or subsequent order, appoint a receiver of the share of such partner in the profits, whether already declared or accruing, and of any other money which may become due to him in respect of the partnership, and direct accounts and enquiries and make an order for the sale of such interest or such other order as the circumstances of the case may require.

(2) The other partners shall be at liberty at any time to redeem the interest charged or, in the case of a sale being directed, to purchase the same.

154. Disposal of proceeds of sale of goods and movable or immovable property.- The amounts so realised from the sale of goods, movable or immovable property, for the recovery of dues from a defaulter shall,-

(a) first, be appropriated against the administrative cost of the recovery process;

(b) next, be appropriated against the amount to be recovered;

(c) next, be appropriated against any other amount due from the defaulter under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder; and

(d) any balance, be paid to the defaulter.

155. Recovery through land revenue authority.- Where an amount is to be recovered in accordance with the provisions of clause (e) of sub-section (1) of section 79, the proper officer shall send a certificate to the Collector or Deputy Commissioner of the district or any other officer authorised in this behalf in **FORM GST DRC- 18** to recover from the person concerned, the amount specified in the certificate as if it were an arrear of land revenue.

156. Recovery through court.- Where an amount is to be recovered as if it were a fine imposed under the Code of Criminal Procedure, 1973, the proper officer shall make an application before the appropriate Magistrate in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (1) of section 79 in **FORM GST DRC- 19** to recover from the person concerned, the amount specified thereunder as if it were a fine imposed by him.

157. Recovery from surety.- Where any person has become surety for the amount due by the defaulter, he may be proceeded against under this Chapter as if he were the defaulter.

158. Payment of tax and other amounts in instalments.- (1) On an application filed electronically by a taxable person, in **FORM GST DRC- 20**, seeking extension of time for the payment of taxes or any amount due under the Act or for allowing payment of such taxes or amount in instalments in accordance with the provisions of section 80, the Commissioner shall call for a report from the jurisdictional officer about the financial ability of the taxable person to pay the said amount.

(2) Upon consideration of the request of the taxable person and the report of the jurisdictional officer, the Commissioner may issue an order in **FORM GST DRC- 21** allowing the taxable person further time to make payment and/or to pay the amount in such monthly instalments, not exceeding twenty-four, as he may deem fit.

(3) The facility referred to in sub-rule (2) shall not be allowed where-

- (a) the taxable person has already defaulted on the payment of any amount under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017, for which the recovery process is on;
- (b) the taxable person has not been allowed to make payment in instalments in the preceding financial year under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017;
- (c) the amount for which instalment facility is sought is less than twenty-five thousand rupees.

159. Provisional attachment of property.- (1) Where the Commissioner decides to attach any property, including bank account in accordance with the provisions of section 83, he shall pass an order in **FORM GST DRC- 22** to that effect mentioning therein, the details of property which is attached.

(2) The Commissioner shall send a copy of the order of attachment to the concerned Revenue Authority or Transport Authority or any such Authority to place encumbrance on the said movable or immovable property, which shall be removed only on the written instructions from the Commissioner to that effect.

(3) Where the property attached is of perishable or hazardous nature, and if the taxable person pays an amount equivalent to the market price of such property or the amount that is or may become payable by the taxable person, whichever is lower, then such property shall be released forthwith, by an order in **FORM GST DRC-23**, on proof of payment.

(4) Where the taxable person fails to pay the amount referred to in sub-rule (3) in respect of the said property of perishable or hazardous nature, the Commissioner may dispose of such property and the amount realized thereby shall be adjusted against the tax, interest, penalty, fee or any other amount payable by the taxable person.

(5) Any person whose property is attached may, within seven days of the attachment under sub-rule (1), file an objection to the effect that the property attached was or is not liable to attachment, and the Commissioner may, after affording an opportunity of being heard to the person filing the objection, release the said property by an order in **FORM GST DRC- 23**.

(6) The Commissioner may, upon being satisfied that the property was, or is no longer liable for attachment, release such property by issuing an order in **FORM GST DRC- 23**.

160. Recovery from company in liquidation.- Where the company is under liquidation as specified in section 88, the Commissioner shall notify the liquidator for the recovery of any amount representing tax, interest, penalty or any other amount due under the Act in **FORM GST DRC -24**.

161. Continuation of certain recovery proceedings.- The order for the reduction or enhancement of any demand under section 84 shall be issued in **FORM GST DRC- 25**.

Chapter - XIX

Offences and Penalties

162. Procedure for compounding of offences.- (1) An applicant may, either before or after the institution of prosecution, make an application under sub-section (1) of section 138 in **FORM GST CPD-01** to the Commissioner for compounding of an offence.

(2) On receipt of the application, the Commissioner shall call for a report from the concerned officer with reference to the particulars furnished in the application, or any other information, which may be considered relevant for the examination of such application.

(3) The Commissioner, after taking into account the contents of the said application, may, by order in **FORM GST CPD-02**, on being satisfied that the applicant has co-operated in the proceedings before him and has made full and true disclosure of facts relating to the case, allow the application indicating the compounding amount and grant him immunity from prosecution or reject such application within ninety days of the receipt of the application.

(4) The application shall not be decided under sub-rule (3) without affording an opportunity of being heard to the applicant and recording the grounds of such rejection.

(5) The application shall not be allowed unless the tax, interest and penalty liable to be paid have been paid in the case for which the application has been made.

(6) The applicant shall, within a period of thirty days from the date of the receipt of the order under sub-rule (3), pay the compounding amount as ordered by the Commissioner and shall furnish the proof of such payment to him.

(7) In case the applicant fails to pay the compounding amount within the time specified in sub-rule (6), the order made under sub-rule (3) shall be vitiated and be void.

(8) Immunity granted to a person under sub-rule (3) may, at any time, be withdrawn by the Commissioner, if he is satisfied that such person had, in the course of the compounding proceedings, concealed any material particulars or had given false evidence. Thereupon such person may be tried for the offence with respect to which immunity was granted or for any other offence that appears to have been committed by him in connection with the compounding proceedings and the provisions the Act shall apply as if no such immunity had been granted.”;

(vii) for “**FORM GST-RFD-01, FORM GST-RFD-02, FORM GST-RFD-04, FORM GST-RFD-05, FORM GST-RFD-06, FORM GST-RFD-07 and FORM GST-RFD-10**”, the following FORMS shall respectively be substituted, namely:-

“**FORM GST-RFD-01, FORM GST-RFD-02, FORM GST-RFD-04, FORM GST-RFD-05, FORM GST-RFD-06, FORM GST-RFD-07, FORM GST-RFD-10 and FORM GST-RFD-11**”.

FORM-GST-RFD-01

[See rule 89(1)]

Application for Refund

Select: Registered / Casual/ Unregistered/Non-resident taxable person

1. GSTIN/Temporary ID:
2. Legal Name:
3. Trade Name, if any:
4. Address:
5. Tax Period: From <DD/MM/YY> To <DD/MM/YY>
6. Amount of Refund Claimed:

Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central Tax						
State /UT Tax						

Integrated Tax						
Cess						
Total						

7. Grounds of Refund Claim: (select from the drop down):

- a. Excess balance in Electronic Cash ledger
- b. Exports of services- With payment of Tax
- c. Exports of goods / services- Without payment of Tax, i.e., ITC accumulated
- d. On account of assessment/provisional assessment/ appeal/ any other order
 - i. Select the type of Order:
Assessment/ Provisional Assessment/ Appeal/ Others
 - ii. Mention the following details:
 1. Order No.
 2. Order Date <calendar>
 3. Order Issuing Authority
 4. Payment Reference No. (of the amount to be claimed as refund)
(If Order is issued within the system, then 2, 3, 4 will be auto populated)
- e. ITC accumulated due to inverted tax structure (clause (ii) of proviso to section 54(3))
- f. On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ Developer or Recipient of Deemed Exports
(Select the type of supplier/ recipient)
 1. Supplies to SEZ Unit
 2. Supplies to SEZ Developer
 3. Recipient of Deemed Exports
- g. Refund of accumulated ITC on account of supplies made to SEZ unit/ SEZ Developer
- h. Tax paid on a supply which is not provided, either wholly or partially, and for which invoice has not been issued
- i. Tax paid on an intra-State supply which is subsequently held to be inter-State supply and vice versa
- j. Excess payment of tax, if any
- k. Any other (*specify*)

8. Details of Bank Account (*to be auto populated from RC in case of registered taxpayer*)

- a. Bank Account Number :
- b. Name of the Bank :
- c. Bank Account Type :
- d. Name of account holder :
- e. Address of Bank Branch :
- f. IFSC :
- g. MICR :

9. Whether Self-Declaration filed by Applicant u/s 54(4), if applicable Yes No

DECLARATION

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name –

Designation / Status

DECLARATION

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making nil rated or fully exempt supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

DECLARATION

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name –

Designation / Status

SELF- DECLARATION

I/We _____ (Applicant) having GSTIN/ temporary Id -----, solemnly affirm and certify that in respect of the refund amounting to Rs. ---/ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period from---to---, claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54..)

10. Verification

I/We <Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

We declare that no refund on this account has been received by us earlier.

Place

Date

Signature of Authorised Signatory

(Name)

Designation/ Status

STATEMENT -1**(Annexure 1)**

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of proviso to section 54(3)]

Part A: Outward Supplies**(GSTR- 1: Table 4 and 5)**

GSTIN/ UIN	Invoice details			Rate	Taxable value	Amount				Place of Supply (Name of State)
	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Part B: Inward Supplies**[GSTR 2: Table 3 (Matched Invoices)]**

GSTIN of supplier	Invoice details			Rate	Taxable value	Amount of Tax				Place of supply (Name of State)	Whether input or input service/ Capital goods (incl plant and machinery)/ Ineligible for ITC	Amount of ITC available			
	No	Date	Value			Integrated tax	Central Tax	State/ UT Tax	CESS			Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Note -The data shall be auto- populated from GSTR-1 and GSTR-2

STATEMENT- 2

Refund Type: Exports of services with payment of tax

(GSTR- 1: Table 6A and Table 9)

GSTIN of recipient	Invoice details				Integrated Tax			BRC/ FIRC		Amended Value (Integrated Tax) (If Any)	Debit Note Integrated Tax / Amended (If any)	Credit Note Integrated Tax / Amended (If any)	Net Integrated Tax = (11/8)+12-13
	No.	Date	Value	SAC	Rate	Taxable value	Amt.	No.	Date				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6A. Exports													

BRC/ FIRC details are mandatory- in case of services

STATEMENT- 3

Refund Type: Export without payment of Tax-Accumulated ITC

(GSTR- 1: Table 6A)

GSTIN of recipient	Invoice details						Shipping bill/ Bill of export			Integrated Tax			EGM Details		BRC/ FIRC		
	No.	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN/ SAC	UQC	QTY	No.	Date	Port Code	Rate	Taxable value	Amt.	Ref No.	Date	No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6A. Exports																	

Note - 1. Shipping Bill and EGM are mandatory; - in case of goods.

2. BRC/ FIRC details are mandatory- in case of Services

STATEMENT 7:**Refund Type: Excess payment of tax, if any in case of Last Return filed.****Refund on account excess payment of tax****(In case of taxpayer who filed last return GSTR-3 - table 12)**

Sr. No.	Tax period	Reference no. of return	Date of filing return	Tax Payable			
				Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8

Annexure-2**Certificate**

This is to certify that in respect of the refund amounting to INR << >> ----- (in words) claimed by M/s ----- (Applicant's Name) GSTIN/ Temporary ID----- for the tax period <---->, the incidence of tax and interest, has not been passed on to any other person. This certificate is based on the examination of the Books of Accounts, and other relevant records and Returns particulars maintained/ furnished by the applicant.

Signature of the Chartered Accountant/ Cost Accountant:

Name:

Membership Number:

Place:

Date:

This Certificate is not required to be furnished by the applicant, claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54 of the Act.

FORM-GST-RFD-02*[See rules 90(1), 90(2) and 95(2)]***Acknowledgment**

Your application for refund is hereby acknowledged against <Application Reference Number>

Acknowledgement Number :

Date of Acknowledgement :

GSTIN/ UIN/ Temporary ID, if applicable :

Applicant's Name :

Form No. :

Form Description :

Jurisdiction (*tick appropriate*) :

Centre State/ Union Territory :

Filed by :

Refund Application Details	
Tax Period	
Date and Time of Filing	
Reason for Refund	

Amount of Refund Claimed:

	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central Tax						
State /UT tax						
Integrated Tax						
Cess						
Total						

Note 1: The status of the application can be viewed by entering ARN through <Refund> Track Application Status” on the GST System Portal.

Note 2: It is a system generated acknowledgement and does not require any signature.

FORM-GST-RFD-04

[See rule 91(2)]

Sanction Order No:

Date: <DD/MM/YYYY>

To

_____ (GSTIN)

_____ (Name)

_____ (Address)

Provisional Refund Order

Refund Application Reference No. (ARN)Dated<DD/MM/YYYY>.....-

Acknowledgement No.Dated<DD/MM/YYYY>.....

Sir/Madam,

With reference to your above mentioned application for refund, the following amount is sanctioned to you on a provisional basis:

Sr. No	Description	Central Tax	State /UT tax	Integrated Tax	Cess
i.	Amount of refund claimed				
ii.	10% of the amount claimed as refund (to be sanctioned later)				
iii.	Balance amount (i-ii)				
iv.	Amount of refund sanctioned				
	Bank Details				
v.	Bank Account No. as per application				
vi.	Name of the Bank				
vii.	Address of the Bank /Branch				
viii.	IFSC				
ix.	MICR				

Date:

Signature (DSC):

Place:

Name:

Designation:

Office Address:

FORM-GST-RFD-05

[See rule 91(3), 92(4), 92(5) & 94]

Payment Advice

Payment Advice No: -

Date: <DD/MM/YYYY>

To <Centre> PAO/ Treasury/ RBI/ Bank

Refund Sanction Order No.

Order Date.....<DD/MM/YYYY>.....

GSTIN/ UIN/ Temporary ID < >

Name: < >

Refund Amount (as per Order):

Description	Integrated Tax						Central Tax						State/ UT tax						Cess					
	T	I	P	F	O	Total	T	I	P	F	O	Total	T	I	P	F	O	Total	T	I	P	F	O	Total
Net Refund amount sanctioned																								
Interest on delayed Refund																								
Total																								

Note – 'T' stands Tax; 'I' stands for Interest; 'P' stands for Penalty; 'F' stands for Fee and 'O' stands for Others

Details of the Bank	
i.	Bank Account no as per application
ii.	Name of the Bank
iii.	Name and Address of the Bank /branch
iv.	IFSC
v.	MICR

Date:

Signature (DSC):

Place:

Name:

Designation:

Office Address:

To

_____ (GSTIN/ UIN/ Temporary ID)

_____ (Name)

_____ (Address)

FORM-GST-RFD-06

[See rule 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) & 96(7)]

Order No.:

Date: <DD/MM/YYYY>

To

_____ (GSTIN/ UIN/ Temporary ID)

_____ (Name)

_____ (Address)

Show cause notice No. (If applicable)

Acknowledgement No.

Dated<DD/MM/YYYY>

Refund Sanction/Rejection Order

Sir/Madam,

This has reference to your above mentioned application for refund filed under section 54 of the Act*/ interest on refund*.

<< reasons, if any, for granting or rejecting refund >>

Upon examination of your application, the amount of refund sanctioned to you, after adjustment of dues (where applicable) is as follows:

**Strike out whichever is not applicable*

Description	Integrated Tax						Central Tax						State/ UT tax						Cess					
	T	I	P	F	O	Total	T	I	P	F	O	Total	T	I	P	F	O	Total	T	I	P	F	O	Total
1. Amount of refund/interest* claimed																								
2. Refund sanctioned on provisional basis (Order No....date) (if applicable)																								
3. Refund amount inadmissible <<reason dropdown>> <Multiple reasons to be allowed>																								
4. Gross amount to be paid (1-2-3)																								
5. Amount adjusted against outstanding demand (if any) under the existing law or under the Act. Demand Order No..... date....., Act Period <Multiple rows possible- add row to be given>																								
6. Net amount to be paid																								

Note – ‘T’ stands Tax; ‘I’ stands for Interest; ‘P’ stands for Penalty; ‘F’ stands for Fee and ‘O’ stands for Others

**Strike out whichever is not applicable*&1. I hereby sanction an amount of INR _____ to M/s _____ having GSTIN _____ under sub-section (5) of section 54) of the Act/under section 56 of the Act[@]*@Strike out whichever is not applicable*

- (a) #and the amount is to be paid to the bank account specified by him in his application;
- (b) the amount is to be adjusted towards recovery of arrears as specified at serial number 5 of the Table above;
- (c) an amount of ----rupees is to be adjusted towards recovery of arrears as specified at serial number 5 of the Table above and the remaining amount of ----rupees is to be paid to the bank account specified by him in his application# . .

#Strike-out whichever is not applicable.

Or

&2. I hereby credit an amount of INR _____ to Consumer Welfare Fund under sub-section (...) of Section (...) of the Act. .

&3. I hereby reject an amount of INR _____ to M/s _____ having GSTIN _____ under sub-section (...) of Section (...) of the Act.

&Strike-out whichever is not applicable

Date:

Place:

Signature (DSC):

Name:

Designation:

Office Address:

FORM-GST-RFD-07

[See rule 92(1), 92(2) & 96(6)]

Reference No.

Date: <DD/MM/YYYY>

To

_____ (GSTIN/UIN/Temp.ID No.)

_____ (Name)

_____ (Address)

Acknowledgement No.

Dated.....<DD/MM/YYYY>.....

Order for Complete adjustment of sanctioned Refund**Part- A**

Sir/Madam,

With reference to your refund application as referred above and further furnishing of information/ filing of documents against the amount of refund sanctioned to you has been completely adjusted against outstanding demands as per details below:

	Refund Calculation	Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess
i.	Amount of Refund claimed				
ii.	Net Refund Sanctioned on Provisional Basis (Order No...date)				
iii.	Refund amount inadmissible rejected <<reason dropdown>>				
iv.	Refund admissible (i-ii-iii)				
v.	Refund adjusted against outstanding demand (as per order no.) under existing law or under this law. . Demand Order No..... date..... <Multiple rows may be given>				
vi.	Balance amount of refund	Nil	Nil		Nil

I hereby, order that the amount of claimed / admissible refund as shown above is completely adjusted against the outstanding demand under this Act / under the existing law. This application stands disposed as per provisions under sub-section (...) of Section (...) of the Act.

OR**Part-B****Order for withholding the refund**

This has reference to your refund application referred to above and information/ documents furnished in the matter. The amount of refund sanctioned to you has been withheld due to the following reasons:

Refund Order No.:					
Date of issuance of Order:					
Sr. No.	Refund Calculation	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
i.	Amount of Refund Sanctioned				
ii.	Amount of Refund Withheld				
iii.	Amount of Refund Allowed				

Reasons for withholding of the refund:

<<Text>>

I hereby, order that the amount of claimed / admissible refund as shown above is withheld for the above mention reasons. This order is issued as per provisions under sub-section (...) of Section (...) of the Act.

Date:

Signature (DSC):

Place:

Name:

Designation:

Office Address:

FORM GST RFD-10

[See rule 95(1)]

Application for Refund by any specialized agency of UN or any Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries, etc.

1. UIN _____ :
2. Name _____ :
3. Address _____ :
4. Tax Period (Quarter) _____ : From <DD/MM/YY> To <DD/MM/YY>
5. Amount of Refund Claim _____ : <INR> <In Words>

	Amount
Central Tax	
State /UT Tax	
Integrated Tax	
Cess	
Total	

6. Details of Bank Account:
 - a. Bank Account Number
 - b. Bank Account Type
 - c. Name of the Bank
 - d. Name of the Account Holder/Operator
 - e. Address of Bank Branch
 - f. IFSC
 - g. MICR
7. Reference number and date of furnishing **FORM GSTR-11**
8. Verification

I _____ as an authorised representative of << Name of Embassy/international organization >> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

That we are eligible to claim such refund as specified agency of UNO/Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries/ any other person/ class of persons specified/ notified by the Government.

Date:

Signature of Authorised Signatory:

Place:

Name:

Designation / Status

FORM GST RFD-11*[See rule 96A]***Furnishing of bond or Letter of Undertaking for export of goods or services**

1. GSTIN				
2. Name				
3. Indicate the type of document furnished			Bond: <input type="checkbox"/>	Letter of Undertaking <input type="checkbox"/>
4. Details of bond furnished				
Sr. No.	Reference no. of the bank guarantee	Date	Amount	Name of bank and branch
1	2	3	4	5

Note – Hard copy of the bank guarantee and bond shall be furnished to the jurisdictional officer.

5. Declaration -

- (i) The above-mentioned bank guarantee is submitted to secure the integrated tax payable on export of goods or services.
- (ii) I undertake to renew the bank guarantee well before its expiry. In case I/We fail to do so the department will be at liberty to get the payment from the bank against the bank guarantee.
- (iii) The department will be at liberty to invoke the bank guarantee provided by us to cover the amount of integrated tax payable in respect of export of goods or services.

Signature of Authorized Signatory

Name

Designation / Status -----

Date -----

Bond for export of goods or services without payment of integrated tax*(See rule 96A)*

I/We.....of.....,hereinafter called "obligor(s)", am/are held and firmly bound to the President of India (hereinafter called "the President") in the sum of.....rupees to be paid to the President for which payment will and truly to be made.

I/We jointly and severally bind myself/ourselves and my/our respective heirs/ executors/ administrators/ legal representatives/successors and assigns by these presents; Dated this.....day of.....;

WHEREAS the above bounden obligor has been permitted from time to time to supply goods or services for export out of India without payment of integrated tax;

and whereas the obligor desires to export goods or services in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (3) of section 16;

AND WHEREAS the Commissioner has required the obligor to furnish bank guarantee for an amount of..... rupees endorsed in favour of the President and whereas the obligor has furnished such guarantee by depositing with the Commissioner the bank guarantee as afore mentioned;

The condition of this bond is that the obligor and his representative observe all the provisions of the Act in respect of export of goods or services, and rules made thereunder;

AND if the relevant and specific goods or services are duly exported;

AND if all dues of Integrated tax and all other lawful charges, are duly paid to the Government along with interest, if any, within fifteen days of the date of demand thereof being made in writing by the said officer, this obligation shall be void;

OTHERWISE and on breach or failure in the performance of any part of this condition, the same shall be in full force and virtue:

AND the President shall, at his option, be competent to make good all the loss and damages, from the amount of bank guarantee or by endorsing his rights under the above-written bond or both;

I/We further declare that this bond is given under the orders of the Government for the performance of an act in which the public are interested;

IN THE WITNESS THEREOF these presents have been signed the day hereinbefore written by the obligor(s).

Signature(s) of obligor(s).

Date :

Place :

Witnesses

(1) Name and Address

Occupation

(2) Name and Address

Occupation

Accepted by me this.....day of (month)..... (year)
of (Designation)
 for and on behalf of the President of India."

Letter of Undertaking for export of goods or services without payment of integrated tax

(See rule 96A)

To

The President of India (hereinafter called the "President"), acting through the proper officer

I/We of..... (address of the registered person) having Goods & Services Tax Identification Number No....., hereinafter called "the undertaker(s) including my/our respective heirs, executors/ administrators, legal representatives/successors and assigns by these presents, hereby jointly and severally undertake on this day of to the President

(a) to export the goods or services supplied without payment of integrated tax within time specified in sub-rule (1) of rule 96A ;

(b) to observe all the provisions of the Goods and Services Tax Act and rules made thereunder, in respect of export of goods or services;

(c) pay the integrated tax, thereon in the event of failure to export the goods or services, along with an amount equal to eighteen percent interest per annum on the amount of tax not paid, from the date of invoice till the date of payment.

I/We declare that this undertaking is given under the orders of the proper officer for the performance of enacts in which the public are interested.

IN THE WITNESS THEREOF these presents have been signed the day hereinbefore written by the undertaker(s)

Signature(s) of undertaker(s).

Date :

Place :

Witnesses

(1) Name and Address

Occupation

(2) Name and Address

Occupation

Date

Place

Accepted by me this.....day of (month)..... (year)

.....of
(Designation)

for and on behalf of the President of India

FORM GST INS-1

AUTHORISATION FOR INSPECTION OR SEARCH

[See rule 139 (1)]

To

.....
.....

(Name and Designation of officer)

Whereas information has been presented before me and I have reasons to believe that—

A. M/s. _____

- has suppressed transactions relating to supply of goods and/or services
- has suppressed transactions relating to the stock of goods in hand,
- has claimed input tax credit in excess of his entitlement under the Act
- has claimed refund in excess of his entitlement under the Act
- has indulged in contravention of the provisions of this Act or rules made thereunder to evade tax under this Act;

OR

B. M/s. _____

- is engaged in the business of transporting goods that have escaped payment of tax
- is an owner or operator of a warehouse or a godown or a place where goods that have escaped payment of tax have been stored
- has kept accounts or goods in such a manner as is likely to cause evasion of tax payable under this Act.

OR

C.

- goods liable to confiscation / documents relevant to the proceedings under the Act are secreted in the business/residential premises detailed herein below

<<Details of the Premises>

Therefore,—

- in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) of section 67 of the Act, I authorize and require you to inspect the premises belonging to the above mentioned person with such assistance as may be necessary for inspection of goods or documents and/or any other things relevant to the proceedings under the said Act and rules made thereunder.

OR

- in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (2) of section 67 of the Act, I authorize and require you to search the above premises with such assistance as may be necessary, and if any goods or documents and/or other things relevant to the proceedings under the Act are found, to seize and produce the same forthwith before me for further action under the Act and rules made thereunder.

Any attempt on the part of the person to mislead, tamper with the evidence, refusal to answer the questions relevant to inspection / search operations, making of false statement or providing false evidence is punishable with imprisonment and /or fine under the Act read with section 179, 181, 191 and 418 of the Indian Penal Code.

Given under my hand & seal this day of (month) 20.... (year). Valid for day(s).

Seal

Place

Signature, Name and designation of the
issuing authority

Name, Designation & Signature of the Inspection Officer/s

(i)

(ii)

FORM GST INS-02**ORDER OF SEIZURE***[See rule 139 (2)]*

Whereas an inspection under sub-section (1)/search under sub-section (2) of Section 67 was conducted by me on __/__/__ at __:__ AM/PM in the following premise(s):

<<Details of premises>>

which is/are a place/places of business/premises belonging to:

<<Name of Person>>

<<GSTIN, if registered>>

in the presence of following witness(es):

1. <<Name and address>>

2. <<Name and address>>

and on scrutiny of the books of accounts, registers, documents / papers and goods found during the inspection/search, I have reasons to believe that certain goods liable to confiscation and/or documents and/or books and/or things useful for or relevant to proceedings under this Act are secreted in place(s) mentioned above.

Therefore, in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (2) of section 67, I hereby seize the following goods/ books/ documents and things:

A) Details of Goods seized:

Sr. No	Description of goods	Quantity or units	Make/mark or model	Remarks
1	2	3	4	5

B) Details of books / documents / things seized:

Sr. No	Description of books / documents / things seized	No. of books / documents / things seized	Remarks
1	2	3	4

and these goods and or things are being handed over for safe upkeep to:

<<Name and address>>

with a direction that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods or things except with the previous permission of the undersigned.

Place:

Name and Designation of the Officer

Date:

Signature of the Witnesses

Sr. No.	Name and address	Signature
1.		
2.		

To:

<<Name and address>>

FORM GST INS-03

ORDER OF PROHIBITION

[See rule 139(4)]

Whereas an inspection under sub-section (1)/search under sub-section (2) of Section 67 was conducted on ___/___/___ at ___:___ AM/PM in the following premise(s):

<<Details of premises>>

which is/are a place/places of business/premises belonging to:

<<Name of Person>>

<<GSTIN, if registered>>

in the presence of following witness(es):

1. <<Name and address>>

2. <<Name and address>>

and on scrutiny of the books of accounts, registers, documents / papers and goods found during the inspection/search, I have reasons to believe that certain goods liable to confiscation and/or documents and/or books and/or things useful for or relevant to proceedings under this Act are secreted in place(s) mentioned above.

Therefore, in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (2) of section 67, I hereby order that you shall not/shall not cause to remove, part with, or otherwise deal with the goods except without the previous permission of the undersigned:

Sr. No	Description of goods	Quantity or units	Make/mark or model	Remarks
1	2	3	4	5

Place:

Name and Designation of the Officer

Date:

Signature of the Witnesses

	Name and address	Signature
1.		
2.		

To:

<<Name and address>>

FORM GST INS-04

BOND FOR RELEASE OF GOODS SEIZED

[See rule 140(1)]

I.....of.....hereinafter called "obligor(s)" am held and firmly bound to the President of India (hereinafter called "the President") and/or the Governor of(State) (hereinafter called "the Governor") in the sum of.....rupees to be paid to the President / the Governor for which payment will be made. I jointly and severally bind myself and my heirs/ executors/ administrators/ legal representatives/successors and assigns by these presents; dated this.....day of.....

WHEREAS in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 67, the goods have been seized vide order numberdated..... having valuerupees involving an amount of tax of rupees. On my request the goods have been permitted to be released provisionally by the proper officer on execution of the bond of valuerupees and a security ofrupees against which cash/bank guarantee has been furnished in favour of the President/ Governor; and

WHEREAS I undertake to produce the said goods released provisionally to me as and when required by the proper officer duly authorized under the Act.

And if all taxes, interest, penalty, fine and other lawful charges demanded by the proper officer are duly paid within ten days of the date of demand thereof being made in writing by the said proper officer, this obligation shall be void.

OTHERWISE and on breach or failure in the performance of any part of this condition, the same shall be in full force:

AND the President/Governor shall, at his option, be competent to make good all the losses and damages from the amount of the security deposit or by endorsing his rights under the above-written bond or both;

IN THE WITNESS THEREOF these presents have been signed the day hereinbefore written by the obligor(s).

Signature(s) of obligor(s).

Date :

Place :

Witnesses

(1) Name and Address

(2) Name and Address

Date

Place

Accepted by me this.....day of(month).....(year)
(designation of officer) for and on behalf of the President /Governor.

(Signature of the Officer)

FORM GST INS-05

ORDER OF RELEASE OF GOODS/ THINGS OF PRISHABLE OR HAZARDOUS NATURE

[See rule 141(1)]

Whereas the following goods and/or things were seized on __/__/__ from the following premise(s):

<<Details of premises>>

which is/are a place/places of business/premises belonging to:

<<Name of Person>>

<<GSTIN, if registered>>

Details of goods seized:

Sr. No	Description of goods	Quantity or units	Make/mark or model	Remarks
1	2	3	4	5

and since these goods are of perishable or hazardous nature and since an amount of Rs. _____ (amount in words and digits), being an amount equivalent to the:

- market price of such goods or things
 the amount of tax, interest and penalty that is or may become payable

has been paid, I hereby order the above mentioned goods be released forthwith.

Place:

Name and Designation of the Officer

Date:

To:

<<Name and Designation>>

FORM GST DRC - 01*[See rule 142(1)]*

Reference No:

Date:

To

_____ GSTIN/ID

----- Name

_____ Address

Tax Period -----

F.Y. -----

Act -

Section / sub-section under which SCN is being issued -

SCN Reference No. ----

Date ----

Summary of Show Cause Notice

(a) Brief facts of the case

(b) Grounds

(c) Tax and other dues

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (name of State)	Tax / Cess	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total						

FORM GST DRC -02*[See rule 142(1)(b)]*

Reference No:

Date:

To

_____ GSTIN/ID

----- Name

_____ Address

SCN Ref. No. -----

Date -

Statement Ref. No. ----

Date -

Section /sub-section under which statement is being issued -

Summary of Statement

- (a) Brief facts of the case
- (b) Grounds
- (c) Tax and other dues

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (name of State)	Tax/ Cess	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total						

FORM GST DRC- 03

[See rule 142(2) & 142 (3)]

Intimation of payment made voluntarily or made against the show cause notice (SCN) or statement

1.	GSTIN									
2.	Name									
3.	Cause of payment		<< drop down>> Audit, investigation, voluntary, SCN, others (specify)							
4.	Section under which voluntary payment is made		<< drop down>>							
5.	Details of show cause notice, if payment is made within 30 days of its issue		Reference No.				Date of issue			
6.	Financial Year									
7.	Details of payment made including interest and penalty, if applicable		(Amount in Rs.)							
Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax/ Cess	Interest	Penalty, if applicable	Total	Ledger utilised (Cash / Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8. Reasons, if any - << Text box>>

9. Verification-

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorized Signatory

Name _____

Designation / Status -----

Date -

FORM GST DRC – 04*[See rule 142(2)]*

Reference No:

Date:

To

_____ GSTIN/ID

----- Name

_____ Address

Tax Period -----

F.Y. -----

ARN -

Date -

Acknowledgement of acceptance of payment made voluntarily

The payment made by you vide application referred to above is hereby acknowledged to the extent of the amount paid and for the reasons stated therein.

Signature

Name

Designation

FORM GST DRC- 05*[See rule 142(3)]*

Reference No:

Date:

To

_____ GSTIN/ID

----- Name

_____ Address

Tax Period -----

F.Y. -----

SCN -

Date -

ARN -

Date -

Intimation of conclusion of proceedings

This has reference to the show cause notice referred to above. As you have paid the amount of tax and other dues mentioned in the notice along with applicable interest and penalty in accordance with the provisions of section ----, the proceedings initiated vide the said notice are hereby concluded.

Signature

Name

Designation

FORM GST DRC - 06*[See rule 142(4)]***Reply to the Show Cause Notice**

1. GSTIN		
2. Name		
3. Details of Show Cause Notice	Reference No.	Date of issue
4. Financial Year		
5. Reply		
<< Text box >>		
6. Documents uploaded		
<< List of documents >>		
7. Option for personal hearing	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No

8. Verification-

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorized Signatory

Name _____

Designation / Status -----

Date -

FORM GST DRC - 07*[See rule 142(5)]***Summary of the order**

1. Details of order -

(a) Order no.

(b) Order date

(c) Tax period -

2. Issues involved - << drop down>>

classification, valuation, rate of tax, suppression of turnover, excess ITC claimed, excess refund released, place of supply, others (specify)

3. Description of goods / services -

Sr. No.	HSN	Description

4. Details of demand

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax rate	Turnover	Place of supply	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8

5. Amount deposited

Sr. No.	Tax Period	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Signature

Name

Designation

FORM GST DRC - 08*[See rule 142(7)]*

Reference No.:

Date:

Rectification of Order

Preamble - << Standard >> (Applicable for orders only)

Particulars of original order			
Tax period, if any			
Section under which order is passed			
Order no.		Date of issue	
Provision assessment order no., if any		Order date	
ARN, if applied for rectification		Date of ARN	

 Your application for rectification of the order referred to above has been found to be satisfactory;

 It has come to my notice that the above said order requires rectification;

Reason for rectification -

<< text box >>

Details of demand, if any, after rectification

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax rate	Turnover	Place of supply	Act	Tax/Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8

The aforesaid order is rectified in exercise of the powers conferred under section 161 as under:

<< text >>

To

_____ (GSTIN/ID)

-----Name

_____ (Address)

FORM GST DRC – 09*[See rule 143]*

To

Particulars of defaulter -

GSTIN –

Name -

Demand order No. :

Date:

Reference No. of recovery :

Date:

Period :

Order for recovery through specified officer under section 79

Whereas a sum of Rs. << ----- >> on account of tax, cess, interest and penalty is payable under the provisions of the <<SGST/UTGST/ CGST/ IGST/ CESS>> Act by the aforesaid person who has failed to make payment of such amount. The details of arrears are given in the table below:

(Amount in Rs.)

Act	Tax/Cess	Interest	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6
Integrated tax					
Central tax					
State/UT tax					
Cess					
Total					

<< Remarks >>

You are, hereby, required under the provisions of section 79 of the <<SGST >> Act to recover the amount due from the << person >> as mentioned above.

Signature
Name
Designation

Place:

Date:

FORM GST DRC – 10

[See rule 144(2)]

Notice for Auction of Goods under section 79 (1) (b) of the Act

Demand order No. :

Date :

Period:

Whereas an order has been made by me for sale of the attached or distrained goods specified in the Schedule below for recovery of Rs..... and interest thereon and admissible expenditure incurred on the recovery process in accordance with the provisions of section 79.

The sale will be by public auction and the goods shall be put up for sale in the lots specified in the Schedule. The sale will be of the right, title and interests of the defaulter. And the liabilities and claims attached to the said properties, so far as they have been ascertained, are those specified in the Schedule against each lot.

The auction will be held on at.... AM/PM. In the event the entire amount due is paid before the date of auction, the sale will be stopped.

The price of each lot shall be paid at the time of sale or as per the directions of the proper officer/specified officer and in default of payment, the goods shall be again put up for auction and resold.

Schedule

Serial No.	Description of goods	Quantity
1	2	3

Signature
Name
Designation

Place:

Date:

FORM GST DRC – 11

[See rules 144(5) & 147(12)]

Notice to successful bidder

To,

Please refer to Public Auction Reference No. _____ dated _____. On the basis of auction conducted on _____, you have been found to be a successful bidder in the instant case.

You are hereby, required to make payment of Rs. _____ within a period of 15 days from the date of auction.
The possession of the goods shall be transferred to you after you have made the full payment of the bid amount.

Signature

Name

Designation

Place:

Date:

FORM GST DRC – 12

[See rule 144(5) & 147(12)]

Sale Certificate

Demand order No.:

Date:

Reference No. of recovery:

Date:

Period:

This is to certify that the following goods:

Schedule (Movable Goods)

Sr. No.	Description of goods	Quantity
1	2	3

Schedule (Immovable Goods)

Building No./ Flat No.	Floor No.	Name of the Premises/ Building	Road/ Street	Locality/ Village	District	State	PIN Code	Latitude (optional)	Longitude (optional)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Schedule (Shares)

Sr. No.	Name of the Company	Quantity	Value
1	2	3	4

have been sold toat.....in public auction of the goods held for recovery of rupees ----- in accordance with the provisions of section 79(1)(b)/(d) of the <<SGST/UTGST/CGST/IGST/CESS>> Act and rules made thereunder on ----- and the said..... (Purchaser) has been declared to be the purchaser of the said goods at the time of sale. The sale price of the said goods was received on..... The sale was confirmed on.....

Signature

Name

Designation

Place:

Date:

FORM GST DRC – 13*[See rule 145(1)]***Notice to a third person under section 79(1) (c)**

To

The _____

Particulars of defaulter -

GSTIN –

Name -

Demand order No.:

Date:

Reference No. of recovery:

Date:

Period:

Whereas a sum of Rs. << ---->> on account of tax, cess, interest and penalty is payable under the provisions of the <<SGST / UTGST/CGST/ IGST>> Act by <<Name of Taxable person>> holding <<GSTIN>> who has failed to make payment of such amount; and/or

It is observed that a sum of rupees ----- is due or may become due to the said taxable person from you; **or**

It is observed that you hold or are likely to hold a sum of rupees ----- for or on account of the said person.

You are hereby directed to pay a sum of rupees ----- to the Government forthwith or upon the money becoming due or being held in compliance of the provisions contained in clause (c)(i) of sub-section (1) of section 79 of the Act.

Please note that any payment made by you in compliance of this notice will be deemed under section 79 of the Act to have been made under the authority of the said taxable person and the certificate from the government in **FORM GST DRC - 14** will constitute a good and sufficient discharge of your liability to such person to the extent of the amount specified in the certificate.

Also, please note that if you discharge any liability to the said taxable person after receipt of this notice, you will be personally liable to the State/Central Government under section 79 of the Act to the extent of the liability discharged, or to the extent of the liability of the taxable person for tax, cess, interest and penalty, whichever is less.

Please note that, in case you fail to make payment in pursuance of this notice, you shall be deemed to be a defaulter in respect of the amount specified in the notice and consequences of the Act or the rules made thereunder shall follow.

Signature

Name

Designation

Place:

Date:

FORM GST DRC – 14*[See rule 145(2)]***Certificate of Payment to a Third Person**

In response to the notice issued to you in **FORM GST DRC-13** bearing reference No. _____ dated _____, you have discharged your liability by making a payment of Rs. _____ for the defaulter named below:

GSTIN –

Name -

Demand order No.:

Date:

Reference No. of recovery:

Date:

Period:

This certificate will constitute a good and sufficient discharge of your liability to above mentioned defaulter to the extent of the amount specified in the certificate.

Signature

Name

Designation

Place:

Date:

FORM GST DRC-15*[See rule 146]***APPLICATION BEFORE THE CIVIL COURT REQUESTING EXECUTION FOR A DECREE**

To

The Magistrate /Judge of the Court of

Demand order No.:

Date:

Period

Sir/Ma'am,

This is to inform you that as per the decree obtained in your Court on the day of 20..... by(name of defaulter) in Suit No. of 20..., a sum of rupees ----- is payable to the said person. However, the said person is liable to pay a sum of rupees ----- under the provisions of the << SGST/UTGST/ CGST/ IGST/ CESS>> Act vide order number ----- dated -----.

You are requested to execute the decree and credit the net proceeds for settlement of the outstanding recoverable amount as mentioned above.

Place:

Date:

Proper Officer/ Specified Officer

FORM GST DRC – 16*[See rules 147(1) & 151(1)]*

To

GSTIN -

Name -

Address -

Demand order No.:

Date:

Reference No. of recovery:

Date:

Period:

Notice for attachment and sale of immovable/movable goods/shares under section 79

Whereas you have failed to pay the amount of Rs....., being the arrears of tax/cess/interest/penalty/fee payable by you under the provisions of the <<SGST/UTGST/ CGST/ IGST/ CESS>> Act.

The immovable goods mentioned in the Table below are, therefore, attached and will be sold for the recovery of the said amount. You are hereby prohibited from transferring or creating a charge on the said goods in any way and any transfer or charge created by you shall be invalid.

Schedule (Movable)

Sr. No.	Description of goods	Quantity
1	2	3

Schedule (Immovable)

Building No./ Flat No.	Floor No.	Name of the Premises/ Building	Road/ Street	Locality/ Village	District	State	PIN Code	Latitude (optional)	Longitude (optional)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Schedule (Shares)

Sr. No.	Name of the Company	Quantity
1	2	3

Signature

Name

Designation

Place:

Date:

FORM GST DRC – 17

[See rule 147(4)]

Notice for Auction of Immovable/Movable Property under section 79(1) (d)

Demand order No.:

Date:

Reference number of recovery:

Date:

Period:

Whereas an order has been made by me for sale of the attached or distrained goods specified in the Schedule below for recovery of Rs..... and interest thereon and admissible expenditure incurred on the recovery process in accordance with the provisions of section 79.

The sale will be by public auction and the goods shall be put up for sale in the lots specified in the Schedule. The sale will be of the right, title and interests of the defaulter. And the liabilities and claims attached to the said properties, so far as they have been ascertained, are those specified in the Schedule against each lot.

In the absence of any order of postponement, the auction will be held on.....(date) at.....A.M/P.M. In the event the entire amount due is paid before the issuance of notice, the auction will be cancelled.

The price of each lot shall be paid at the time of sale or as per the directions of the proper officer/ specified officer and in default of payment, the goods shall be again put up for auction and resold.

Schedule (Movable)

Sr. No.	Description of goods	Quantity
1	2	3

Schedule (Immovable)

Building No./ Flat No.	Floor No.	Name of the Premises/ Building	Road/ Street	Locality/ Village	District	State	PIN Code	Latitude (optional)	Longitude (optional)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Schedule (Shares)

Sr. No.	Name of the Company	Quantity
1	2	3

Signature

Name

Designation

Place:

Date:

FORM GST DRC – 18*[See rule 155]*

To

Name & Address of District Collector

.....

Demand order No.:

Date:

Reference number of recovery:

Date:

Period:

Certificate action under clause (e) of sub-section (1) section 79

I..... do hereby certify that a sum of Rs..... has been demanded from and is payable by M/s..... holding GSTINunder <<SGST/CGST/IGST/UTGST/CESS>> Act, but has not been paid and cannot be recovered from the said defaulter in the manner provided under the Act.

<< demand details >>

The said GSTIN holder owns property/resides/carries on business in your jurisdiction the particulars of which are given hereunder: -

<<Description>>

You are requested to take early steps to realise the sum of rupees ----- from the said defaulter as if it were an arrear of land revenue.

Signature

Name

Designation

Place:

Date:

FORM GST DRC – 19*[See rule 156]*

To,

Magistrate,

<<Name and Address of the Court>>

Demand order No.:

Date:

Reference number of recovery:

Date:

Period:

Application to the Magistrate for Recovery as Fine

A sum of Rs. << ---- >> is recoverable from <<Name of taxable person>> holding <<GSTIN>> on account of tax, interest and penalty payable under the provisions of the Act. You are requested to kindly recover such amount in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (1) of section 79 of the Act as if it were a fine imposed by a Magistrate.

Details of Amount				
Description	Central tax	State /UT tax	Integrated tax	CESS
Tax/Cess				
Interest				

Penalty				
Fees				
Others				
Total				

Signature

Name

Designation

Place:

Date:

FORM GST DRC – 20*[See rule 158(1)]***Application for Deferred Payment/ Payment in Instalments**

1. Name of the taxable person-
2. GSTIN -
3. Period _____

In accordance with the provisions of section 80 of the Act, I request you to allow me extension of time up to ----- for payment of tax/other dues **or** to allow me to pay such tax/other dues in -----instalments for reasons stated below:

Demand ID				
Description	Central tax	State /UT tax	Integrated tax	CESS
Tax/Cess				
Interest				
Penalty				
Fees				
Others				
Total				

Reasons: -

Upload Document

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorized Signatory _____

Name _____

Place -

Date -

FORM GST DRC – 21*[See rule 158(2)]*

Reference No. << --- >>

<< Date >>

To

GSTIN -----

Name -----

Address -----

Demand Order No.

Date:

Reference number of recovery:

Date:

Period -

Application Reference No. (ARN) -

Date -

Order for acceptance/rejection of application for deferred payment/payment in instalments

This has reference to your above referred application, filed under section 80 of the Act. Your application for deferred payment / payment of tax/other dues in instalments has been examined and in this connection, you are allowed to pay tax and other dues by ----- (date) **or** in this connection you are allowed to pay the tax and other dues amounting to rupees ----- in ----- monthly instalments.

OR

This has reference to your above referred application, filed under section 80 of the Act. Your application for deferred payment / payment of tax/other dues in instalments has been examined and it has not been found possible to accede to your request for the following reasons:

Reasons for rejection

Signature

Name

Designation

Place:

Date:

FORM GST DRC - 22*[See rule 159(1)]*

Reference No.:

Date:

To

----- Name

----- Address

(Bank/Post Office/Financial Institution/Immovable property registering authority)

Provisional attachment of property under section 83

It is to inform that M/s ----- (name) having principal place of business at -----(address) bearing registration number as ----- (GSTIN/ID), PAN ----- is a registered taxable person under the <<SGST/CGST>> Act. Proceedings have been launched against the aforesaid taxable person under section << --->> of the said Act to determine the tax or any other amount due from the said person. As per information available with the department, it has come to my notice that the said person has a -

<<saving / current / FD/RD / depository >>account in your << bank/post office/financial institution>> having account no. << A/c no. >>;

or

property located at << property ID & location>>.

In order to protect the interests of revenue and in exercise of the powers conferred under section 83 of the Act, I ----- (name), ----- (designation), hereby provisionally attach the aforesaid account / property.

No debit shall be allowed to be made from the said account or any other account operated by the aforesaid person on the same PAN without the prior permission of this department.

or

The property mentioned above shall not be allowed to be disposed of without the prior permission of this department.

Signature

Name

Designation

FORM GST DRC - 23*[See rules 159(3), 159(5) & 159(6)]*

Reference No.:

Date:

To

----- Name

----- Address

(Bank/Post Office/Financial Institution/Immovable property registering authority)

Order reference No. -

Date -

Restoration of provisionally attached property/bank account under section 83

Please refer to the attachment of << saving / current / FD/RD>> account in your << bank/post office/financial institution>> having account No. << ----- >>, attached vide above referred order, to safeguard the interest of revenue in the proceedings launched against the person. Now, there is no such proceedings pending against the defaulting person which warrants the attachment of the said accounts. Therefore, the said account may now be restored to the person concerned.

or

Please refer to the attachment of property << ID /Locality>> attached vide above referred order to safeguard the interest of revenue in the proceedings launched against the person. Now, there is no such proceedings pending against the defaulting person which warrants the attachment of the said property. Therefore, the said property may be restored to the person concerned.

Signature

Name

Designation

FORM GST DRC-24*[See rule 160]*

To

The Liquidator/ Receiver,

Name of the taxable person:

GSTIN:

Demand order No.:

Date:

Period:

Intimation to Liquidator for recovery of amount

This has reference to your letter <<intimation No. & date>>, giving intimation of your appointment as liquidator for the <<company name>> holding <<GSTIN>>. In this connection, it is informed that the said company owes / likely to owe the following amount to the State / Central Government:

Current/Anticipated Demand

(Amount in Rs.)

Act	Tax	Interest	Penalty	Other Dues	Total Arrears
1	2	3	4	5	6
Central tax					
State / UT tax					
Integrated tax					
Cess					

In compliance of the provisions of section 88 of the Act, you are hereby directed to make sufficient provision for discharge of the current and anticipated liabilities, before the final winding up of the company.

Name

Designation

Place:

Date:

FORM GST DRC – 25*[See rule 161]*

Reference No << --- >>

<< Date >>

To

GSTIN -----

Name -----

Address -----

Demand Order No.:

Date:

Reference number of recovery:

Date:

Period:

Reference No. in Appeal or Revision or any other proceeding -

Date:

Continuation of Recovery Proceedings

This has reference to the initiation of recovery proceedings against you vide above referred recovery reference number for a sum of Rs.....

The Appellate/Revisional authority/Court << name of authority/Court >> has enhanced/reduced the dues covered by the above mentioned demand order No.....dated.....vide order No. ----- dated ----- and the dues now stands at Rs.....The recovery of enhanced/reduced amount of Rs..... stands continued from the stage at which the recovery proceedings stood immediately before disposal of appeal or revision. The revised amount of demand after giving effect of appeal/revision is given below:

Financial year:

(Amount in Rs.)

Act	Tax	Interest	Penalty	Other Dues	Total Arrears
1	2	3	4	5	6
Central tax					
State/UT tax					
Integrated tax					
Cess					

Signature

Name

Designation

Place:

Date:

FORM GST CPD-01

[See rule 162(1)]

Application for Compounding of Offence

1.	GSTIN / Temporary ID	
2.	Name of the applicant	
3.	Address	
4.	The violation of provisions of the Act for which prosecution is instituted or contemplated	
5.	Details of adjudication order/notice	
	Reference Number	
	Date	
	Tax	
	Interest	
	Penalty	
	Fine, if any	
6.	Brief facts of the case and particulars of the offence (s) charged:	
7.	Whether this is the first offence under the Act	
8.	If answer to 7 is in the negative, the details of previous cases	
9.	Whether any proceedings for the same or any other offence are contemplated under any other law.	
10.	If answer to 9 is in the affirmative, the details thereof	

DECLARATION

- (1) I shall pay the compounding amount, as may be fixed by the Commissioner.
- (2) I understand that I cannot claim, as a matter of right, that the offence committed by me under the Act shall be compounded.

Signature of the applicant
Name

FORM GST CPD-02*[See rule 162(3)]*

Reference No:

Date:

To

GSTIN/ID -----

Name-----

Address -----

ARN -----

Date –

Order for rejection / allowance of compounding of offence

This has reference to your application referred to above. Your application has been examined in the department and the findings are as recorded below:

<< text >>

I am satisfied that you fulfil the requirements to be allowed to compound the offences in respect of the offences stated in column (2) of the table below on payment compounding amount indicated in column (3):

Sr. No.	Offence	Compounding amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)

Note : *In case the offence committed by the taxable person falls in more than one category specified in Column (2), the compounding amount shall be the amount specified in column (3), which is the maximum of the amounts specified against the categories in which the offence sought to be compounded can be categorized.*

You are hereby directed to pay the aforesaid compounding amount by ----- (date) and on payment of the compounding amount, you will be granted immunity from prosecution for the offences listed in column (2) of the aforesaid table.

or

Your application is hereby rejected.

Signature

Name

Designation

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide G.S.R number 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 10/2017-Central Tax, dated the 28th June, 2017, published vide G.S.R number 663 (E) dated the 28th June, 2017.